



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498 ई-मेल : vyapam@mp.nic.in

वेबसाइट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय) एवं बी.एड.-एम.एड.

(एकीकृत तीन वर्षीय) कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु परीक्षा-2016

i jh{kk | pkyu , oa HkrhZ fu; e i flrdk

vkllykbLu vkonu&i =

भरने की प्रारम्भ तिथि : 15-02-2016	भरने की अंतिम तिथि : 15-03-2016	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में संशोधन की प्रारम्भ तिथि (एम.पी. ऑनलाईन क्योस्क पर) तथा आवेदन-पत्र भरने के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन की प्रारम्भ तिथि { उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत / निर्धारित शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) पर }	16-02-2016	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में संशोधन की अंतिम तिथि (एम.पी. ऑनलाईन क्योस्क पर) तथा आवेदन-पत्र भरने के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि { उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत / निर्धारित शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) पर }	18-03-2016	
<i>i jh{kk fnukd o fnu</i>		24-04-2016 <i>jfookj</i>
<i>i jh{kk 'kVd</i>		
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	दो प्रश्न पत्र के लिये	: - 700@&
	एक प्रश्न पत्र के लिये	: - 500@&
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दो प्रश्न पत्र के लिये	: - 350@&
	एक प्रश्न पत्र के लिये	: - 250@&
ऑनलाईन आवेदन – पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क : - 70@& अतिरिक्त देय होगा।		

vkllykbLu i jh{kk i) fr | e; | kj .kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
बी.एड. एवं एम.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम तथा बी.एड.-एम.एड. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये				
24.04.2016 रविवार	एक	प्रातः: 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः: 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये				
24.04.2016 रविवार	एक	अपराह्न 02:30 बजे	03:50 से 04:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 04:00 से 05:00 बजे तक (1:00 घंटे)

fVII . kh %&

- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटबोर्ड आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है ।
- vkllykbLu vkonu&i = Øekd ds }kj k gh fyf[kr i jh{kk grq vH; FkZ vi uk i zsk&i = i klr dj | drs gA vr% vkonu&i = Øekd vko'; d : i | s | lkky dj j [kj ftl dh | eLr ftFenkjh vkon d h gh gkxhA*
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है ।
- मण्डल द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk i gpku i =] i udkM] vkkj dkM] Mk; foX yk; | s] vdI ph e; QkVkskQ] cld i kl cd e; QkVkskQ rFkk i kl i kVZ es | s dkbl , d vFkok vU; dks p; fur dj | drk gSA
- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा ।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे ।

i kQ's kuy , Xtkfeus ku cksM] Hkksí ky] e0i Ø

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय) एवं बी.एड.–एम.एड.

(एकीकृत तीन वर्षीय) कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु परीक्षा–2016

fo"k; & I iph

I - Øa	v/; k;	fooj . k	i "B Ø-
1.	1	उच्च शिक्षा विभाग की नियमावली, तथा आरक्षण तालिका	3&25
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	26&38
3.	3	i ek.k i =ka dk i k: i	39&53
4	i k: i &13	प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	54
5.	i k: i &14	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	55
6.	i k: i &15	ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक	56
7	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परिशिष्ट	57&80



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

वर्ष : 2016

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. एवं बी.एड.—एम.एड. (एकीकृत)
कार्यक्रमों हेतु

प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी
सिद्धान्त

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

अध्याय—1

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय) एवं बी.एड.—एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त 2016

1. प्रस्तावना

1.1 **सामान्य एवं उद्देश्य** – देश में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन विद्यालयों में शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रमों का विनियमन केंद्रीय अधिनियम से स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में “अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों” के विनियमन के लिए “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014” प्रभावशील है। इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश राज्य शासन की नीति के अनुरूप प्रवेश-परीक्षा के माध्यम से दिया जाना है। दो वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.), शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.), शारीरिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.), शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.पी.एड.) एवं तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.—एम.एड. कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (सत्र 2016–17) में प्रवेश के लिए वर्ष 2016 की प्रवेश-प्रक्रिया को संचालित करने के उद्देश्य से “मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2016” जारी किए जाते हैं। इन सिद्धांतों के अध्यधीन उपरोक्त किसी कार्यक्रम में प्रवेश के उपरांत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संबन्धित विश्वविद्यालयों के अधिनियम, अध्यादेश, परिनियम एवं निर्देश लागू होंगे, बशर्ते कि राज्य-शासन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या माननीय न्यायालय द्वारा संबन्धित विषय पर कोई विधिमान्य पृथक निर्देश जारी नहीं किए गए हों।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सिविल) 276/2012 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 एवं संशोधन दिनांक 26.6.2013 एवं आई.ए.एन.ओ.एस. 113 एवं 114/2014 की सिविल अपील 5914/2011 में पारित आदेश दिनांक 13.8.2014 के परिप्रेक्ष्य में एवं मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 2055/41/न्यायालय/सी.सी./अड़तीस दिनांक 23.8.2013 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को निर्मित एवं व्याख्यायित किया गया है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एवं संबन्धित विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों, शारीरिक शिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षण एवं शारीरिक शिक्षण विभागों में संचालित बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. एवं एकीकृत बी.एड.—एम.एड. कार्यक्रमों में उपलब्ध स्थानों (सीटों) पर प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करते हुए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा के अतिरिक्त शारीरिक-शिक्षण से जुड़ी अन्य परीक्षाएँ “फिटनेस टेस्ट/स्पोर्ट्स प्रोफिशिएन्सी टेस्ट” आदि में भी

प्रावधानानुसार सम्मिलित होना होगा। परीक्षाओं में प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मेरिट सूची/समेकित मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी जिसके आधार पर “एम. पी. ऑनलाईन” के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न होगी। मेरिट सूची में स्थान पाने मात्र से किसी आवेदक को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अपितु काउन्सिलिंग में आवंटित शिक्षण—संस्था हेतु निर्दिष्ट हेल्प—सेंटर पर प्रवेश के समय उपस्थित आवेदक से अपेक्षित सभी मूल प्रमाणपत्रों के सत्य एवं नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व आवेदक को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता/योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारियाँ पूर्णतः सत्य हैं जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं।

प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होगी। मेरिट—सूची/समेकित मेरिट—सूची के प्रावीण्य—क्रमांक एवं ऑनलाईन काउन्सिलिंग में आवेदकों द्वारा व्यक्त की गई शिक्षण—संस्थाओं एवं कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) की वरीयता के आधार पर आवंटन जारी किया जाएगा। अतः इन कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) को संचालित करने वाली शिक्षण—संस्थाओं का यह समग्र दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करें ताकि आवेदक उनकी शिक्षण—संस्था को अपनी व्यक्त की गई वरीयता में उच्च क्रम पर रखें जिससे कि वर्तमान सत्र में उनकी संस्थाओं में पूर्ण आवंटन/प्रवेश हो सकें। आवंटन उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश लेना या नहीं लेना उनकी अभिरुचि पर निर्भर करता है।

टीप : वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत किसी भी शिक्षण संस्था में बी.एड.—एम.एड. एकीकृत तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित नहीं हैं। सत्र 2016–17 हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा बी.एड.—एम.एड. एकीकृत तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं को संबद्धता दिए जाने की स्थिति में ही प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। अतः आवेदक इस स्थिति से अवगत रहें।

1.2 अधिकार :

- (अ) प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के चयन संबंधी नीति निर्धारित करने के लिये राज्य शासन को पूर्ण अधिकार है। इन नियमों की व्याख्या करने तथा प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने के लिये राज्य शासन पूरी तरह सक्षम है तथा उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे।
- (ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियम, 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर इन प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्तों और प्रवेश—प्रक्रिया को परिवर्तित एवं इनमें संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को रहेगा।
- (स) प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर आयुक्त, उच्च शिक्षा को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिस पर आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(द) ऑनलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा समय—समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे।

1.3 प्रभावशीलता :

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 के अधीन विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक संबद्धता प्राप्त प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, जिन्हें इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में “शिक्षण संस्था” कहा जाएगा, पर तथा प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका (सिविल) 276/12 एवं इससे संबंधित आई.ए.8 दिनांक 28.06.2013 में निश्चित किए गए कैलेण्डर के अनुसार सत्र 2016–17 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03 मार्च, 2016 तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने की तिथि 10 मई, 2016 निर्धारित है।

1.4 संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन :

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) एवं बी.एड.–एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) आदि में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

संस्था में उपलब्ध स्थानों का श्रेणी एवं वर्गवार आवंटन इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पृथक से उल्लेखित आरक्षण संबंधी कण्डिका तथा उसकी उपकण्डिकाओं के अनुसार रहेगा। संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 75 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रहेगा और अधिकतम 25 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी हेतु :

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र संलग्न प्रारूप 5 अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डब्ल्यू.पी. 7113/2014 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15.5.2014 के पालन में अल्पसंख्यक संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान अल्पसंख्यक श्रेणी हेतु तथा 50 प्रतिशत स्थान अन्य श्रेणी के लिये रहेंगे (यह अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेंगे)। इसमें अजजा/अजा/पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे महाविद्यालय दिनांक 18.05.16 तक यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाईन जारी मान्यता एवं सम्बद्धता प्राप्त सूची में उनके नाम के समक्ष महिला महाविद्यालय दर्ज है।

1.5 प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी : प्रवेश प्रक्रिया निम्न क्रमानुसार सम्पन्न होगी – (विस्तृत विवरण पृथक से संबंधित कंडिकाओं में उपलब्ध है।)

01 : प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीयन – प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा जारी विज्ञापन के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन एवं पंजीकरण किया जाना होगा।

02 : दस्तावेजों के सत्यापन हेतु चिह्नित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होना –

ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने के साथ ही आवेदक को संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित हेल्प सेंटर, जो कि चयनित शासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय हैं, (परिशिष्ट – 5, 6 एवं 7) में दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर आवेदन में प्रस्तुत जानकारियों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा। सत्यापन करवा चुके आवेदकों को ही संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश-परीक्षा एवं आगामी प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

03 : प्रवेश परीक्षा एवं मेरिट सूची :

दस्तावेज सत्यापित करा चुके आवेदक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक एवं बी.पी.एड., एम.पी.एड. हेतु वांछित अन्य प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची/समेकित मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी।

04 : एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रवेश आवंटन हेतु आयोजित ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए पंजीयन एवं वरीयता व्यक्त करना।

प्रक्रिया अन्तर्गत मेरिट सूची के ऑनलाइन प्रकाशन उपरांत आवेदकों को प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम०पी० ऑनलाइन की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में पोर्टल शुल्क जमा करते हुए पंजीयन एवं महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करनी होगी। प्रत्येक संबंधित पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की जानकारी के साथ, सीट-आवंटन-पत्र (**Seat-Allotment-Letter**) जारी किये जावेंगे।

05 : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश

प्रवेश के लिए आवेदक को आवंटित महाविद्यालय के लिए निर्धारित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होना होगा। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (**Original T.C.**) यथास्थिति माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट

आवंटित / प्रवेशित संबंधित महाविद्यालय के नाम बनाकर शासकीय संबद्ध हेल्प सेंटर में जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी।

2. **पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम शुल्क :** आवेदकों को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के रेग्युलेशन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक हैं :—

2.1 **शैक्षणिक योग्यता :**

(अ) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सामान्य एवं पिछ़ड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या/अथवा स्नातकोत्तर विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी, में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त इंजीनियरी या तकनीकी में विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हतावाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि क्रमशः न्यूनतम तीन वर्ष एवं दो वर्ष की होगी।

प्रवेश प्रक्रिया – ऑन लाइन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी0एड0 पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(ब) एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी0एड0 / बी0ए0बी0एड0 / बी0एससी0बी0एड0 / बी0एल0एड0 अथवा डी0एल0एड0 के साथ स्नातक उपाधि (दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य) उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया – ऑन लाइन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से एम0एड0 पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(स) बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर-कॉलेज/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय/वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय /राज्य प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर-कॉलेज/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघों/एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/कोच)।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया – बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अहताकारी परीक्षा तथा स्पोर्ट्स प्रोफेशियेंसी में अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के आधार पर ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से गुणानुक्रम से होंगे।

(द) एम.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया :- एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में ऑन लाइन प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक, स्पोर्ट्स प्रोफेशियेंसी टेस्ट, अहताकारी परीक्षा तथा स्पोर्ट्स प्रोफेशियेंसी में अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से गुणानुक्रम से होंगे।

(इ) बी.एड.–एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु –

(एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं हेतु मान्यता दिए जाने की स्थिति में ही प्रवेश होंगे)

प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सामान्य एवं पिछ़ड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उनके समक्ष ग्रेड की स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

वांछनीय : यह वांछनीय है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रुचि और अनुभव हो।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

उन्हीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष की होगी।

प्रवेश प्रक्रिया – ऑन लाइन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एड.–एम.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

2.2 निर्धारित कार्य दिवस :- समस्त पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्य दिवस होना आवश्यक है। बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश एवं परीक्षा अवधि को छोड़कर यह अवधि न्यूनतम 200 तथा एकीकृत तीन वर्षीय बी.एड.–एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु 215 कार्य दिवसों की है।

2.3 शुल्क :- आवंटित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रथम वर्ष का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट से प्रवेश के समय आवेदकों द्वारा चिन्हित शासकीय हेल्प सेंटर पर देय होगा। आगामी वर्षों में शेष निर्धारित शुल्क सीधे अध्ययनरत् महाविद्यालय को देय होगा।

म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1073/240/ सीसी/14/अड़तीस, दिनांक 30.06.14 की मंशानुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक प्रवेश शुल्क के रूप में रूपये 5000/- (रु. पांच हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हुए प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं एवं शेष निर्धारित शुल्क का भुगतान परीक्षा आवेदन से पूर्व कर सकते हैं, परन्तु छात्रवृत्ति प्राप्ति के संबंध में संबंधित विभाग के नियम/निर्देश लागू होंगे। समयावधि में निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विद्यार्थी का होगा।

2.4 प्रावधिक आवेदकों हेतु प्रक्रिया :-

- (1) ऐसे विद्यार्थी जिनकी अर्हताकारी परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, वे प्रावधिक आवेदक के रूप में पंजीयन तथा हेल्प सेंटर पर दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश परीक्षा में प्रावधिक रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। इस हेतु स्नातक अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक तथा स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रथम से तृतीय सेमेस्टर तक (कंडिका 2.1 में संबंधित पाठ्यक्रम हेतु उल्लेखित न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करते हुए) प्राप्त अंकों के कुल योग को ऑनलाईन दर्ज करना अनिवार्य होगा। अर्हताकारी परीक्षा के पूर्व के किसी भी सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. होने पर आवेदक को प्रावधिक रूप से सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
- (2) उपरोक्तानुसार पंजीयन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् आवेदक को नियमानुसार प्रवेश परीक्षा एवं शारीरिक शिक्षण के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फिटनेस टेस्ट/प्रोफिसियंसी टेस्ट (बी.पी.एड./एम.पी.एड. हेतु लागू) में भी सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
- (3) ऐसे समस्त आवेदकों को प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर काउंसलिंग हेतु पंजीयन कराना होगा। परन्तु प्रावधिक आवेदकों को पंजीयन से पूर्व हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि कराना अनिवार्य होगा। प्राप्तांकों की प्रविष्टि हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाईन करने के पश्चात् ही आवेदक प्रवेश काउंसलिंग हेतु पंजीयन करा सकेगा। अतः अर्हताकारी परीक्षा वांछित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में प्रावधिक आवेदक हेल्प सेंटर पर अंकसूची के साथ निश्चित तिथियों में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अंकों की प्रविष्टि दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
- (4) प्रावधिक आवेदक को प्रथम चरण के आवंटन के पूर्व अथवा अर्हताकारी परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में तत्समय काउंसलिंग हेतु उपलब्ध द्वितीय/तृतीय चरण हेतु वरीयता व्यक्त करने की निर्धारित समयावधि में हेल्प सेंटर पर अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक (आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त होने की स्थिति में) दर्ज कराते हुए पंजीयन कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे एवं ऐसे आवेदक उपलब्ध चरण में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रिक्त रह गए स्थानों के लिए ही अपनी वरीताएं व्यक्त कर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(5) समस्त प्रावधिक आवेदकों को एन.सी.टी.ई. रेग्युलेशन, 2014 के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रावधिक रूप से प्रवेश परीक्षा/फिटनेस टेस्ट/प्रोफिसियंसी टेस्ट में सम्मिलित होने के उपरांत भी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

(6) इस संबंध में समस्त प्रावधिक आवेदकों को स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप – 10 अनुसार भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) प्रावधिक आवेदकों द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणामों की प्रविष्टि न करने, पंजीयन न कराने अथवा निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त न करने की स्थिति में उनकी प्रवेश हेतु पात्रता नहीं रहेगी एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3. सीटों का आरक्षण :

3.1 आरक्षण प्रतिशत : मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

स०क्र०	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-परत छोड़कर)	14 प्रतिशत	27.5 प्रतिशत

ब – मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गों का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये **03** प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिये **03** प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये **03** प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये **01** प्रतिशत।

3.2 महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार **30** प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) है। कुल स्थानों के **30** प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

3.2.1 **सैनिक संवर्ग (एस)** : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। सैनिक वर्ग में रक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक

से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण—पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हैं। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

3.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.) –

कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों /नातियों/नातिनों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत हैं।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

3.2.3 निःशक्तजन (विकलांग) : कुल स्थानों का तीन प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संवर्ग के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.2.4 विधवा/परित्यक्ता: इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी

विधवा/परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/ परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।

- 3.3 यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.4 संबंधित बाहरी राज्य के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण—पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होंगे। (संलग्न – प्रमाण पत्र प्रारूप 7 एवं 8)
- 3.5 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग/संवर्ग का लाभ देय होगा।
- 3.6 तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों को वरीयता एवं गुणानुक्रम के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा।
- 3.7 तृतीय चरण में ही बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों की भी संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर म0प्र0 राज्य के आवेदकों को स्थान आवंटित किया जायेगा।
- 3.8 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जायेगा। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर तृतीय चरण में रिक्त रह गये स्थानों पर मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासियों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर आवंटन किया जायेगा।

4. प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन, आवेदन महत्वपूर्ण तिथियां एवं दस्तावेजों का सत्यापन :

- 4.1 प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञापन एवं आवेदन/पंजीकरण : बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0, एम0पी0एड0 (दो वर्षीय) एवं बी0एड0—एम0एड0 (एकीकृत तीन वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आयोजित प्रवेश—परीक्षा में आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन हेतु राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के हिंदी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार—पत्रों में प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, म0प्र0 (पी.ई.बी.) द्वारा विज्ञापन जारी किया

जायेगा। ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश एवं आवेदन पत्र पीईबी की वेबसाइट <http://www.peb.mp.gov.in> तथा www.vyapam.nic.in पर निर्धारित तिथि अनुसार उपलब्ध होंगे।

निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों को प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण-पत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि एवं स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार, मूल निवास का पता, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का मिलान आवेदन की प्रविष्टियों से अवश्य कर लें जिससे सत्यापन के समय कोई परेशानी न हो। आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाईन आवेदन को मूल दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी के अनुसार ही भरा गया है। ऑनलाईन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन के निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

4.2 प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, म0प्र0 द्वारा आवेदकों के ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रक्रिया एवं समय सारणी :

क्रमांक	कार्यवाही	तिथि
1.	विज्ञापन का प्रकाशन	जनवरी, 2016
2.	आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन	10 फरवरी से 10 मार्च, 2016
3.	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन (परिशिष्ट – 5, 6 एवं 7 अनुसार निर्धारित हेल्प सेंटर पर)	11 फरवरी से 14 मार्च, 2016
4.	प्रवेश परीक्षा (दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे)	24 अप्रैल, 2016
5.	फिटनेस टेस्ट (बी.पी.एड. हेतु)/स्पोर्ट्स प्रोफिसियंसी टेस्ट (एम.पी.एड. हेतु) (संलग्न परिशिष्ट – 3 (अ) / 3 (ब) एवं 4 (अ) अनुसार)	28 अप्रैल से 05 मई, 2016
6.	परीक्षा परिणाम की घोषणा	10 मई, 2016 तक
7.	समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन	12 मई, 2016 तक

4.3 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

- ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत कराने के पश्चात् आवेदकों को प्रदेश के चयनित शासकीय हेल्प सेंटर महाविद्यालयों पर जाकर अपने समस्त दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन सत्यापन कराना अनिवार्य है। दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे एवं उनके आवेदन प्रवेश हेतु मान्य नहीं होंगे तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। इसके लिये आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् प्राप्त अभिस्वीकृति पत्र (Acknowledgement Slip) के साथ हेल्प सेंटर पर स्वयं उपस्थित होकर समस्त मूल दस्तावेजों को अभिप्रामाणीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा। दर्ज जानकारियों का मूल प्रमाण पत्रों

से अभिप्रामाणीकरण हेल्प सेंटर के अधिकारियों द्वारा किया जावेगा तथा सत्यापन करने के बाद हेल्प सेंटर के अधिकारी Online Verification Slip प्रदान करेंगे एवं प्रमाण स्वरूप इस पर अपने हस्ताक्षर के साथ हेल्प सेंटर की सील भी लगायेंगे। इस Online Verification Slip पर आवेदक को भी हस्ताक्षर करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के समय समस्त आवेदकों से Acknowledgement Slip पर मुद्रित वचन—पत्र पर हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

- आवेदकों के दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापित हुए हैं, अथवा नहीं, इसके लिए आवेदक अपने पंजीयन क्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर, पोर्टल पर स्वयं जांच कर सकेंगे।
- अन्य राज्यों के आवेदकों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन मध्यप्रदेश राज्य के नजदीकी शासकीय महाविद्यालयों (सहायता केन्द्रों/हेल्प सेंटर) में स्वयं उपस्थित होकर कराना होगा।
- आवेदकों को निम्न दस्तावेजों में जो भी लागू हो उनका सत्यापन कराना अनिवार्य होगा –
 1. जन्म तिथि प्रमाण—पत्र
 2. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची
 3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी—परत छोड़कर) एवं सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा विधवा अथवा परित्यक्ता संबंधी संवर्ग में आरक्षण हेतु मान्य प्रमाण—पत्र
 4. म0प्र0 स्थानीय निवासी हेतु स्व—प्रमाणित घोषणा—पत्र (संलग्न प्रारूप 5 अनुसार)
 5. नवीनतम आय प्रमाण—पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी—परत छोड़कर) के आवेदकों के लिये (स्व—प्रमाणित घोषणा—पत्र संलग्न प्रारूप 6 अनुसार)
 6. खेलकूद संबंधी मान्य उल्लेखित प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
 7. फोटो पहचान पत्र – आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट, पेन कार्ड, फोटो युक्त अंकसूची में से कोई एक अथवा अन्य कोई जो तत्समय निर्दिष्ट किया जावें। (उक्त फोटो पहचान पत्र आवेदक को प्रवेश परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।
 8. प्रावधिक प्रवेश हेतु आवेदकों को अंतिम परीक्षा का प्रवेश पत्र (यदि प्राप्त हो) एवं प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक की सभी अंकसूचियां सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा एवं स्वघोषणा—पत्र भी निर्धारित प्रारूप 10 अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5. प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम एवं मेरिट सूची (केवल सत्यापित आवेदकों के लिये) :

प्रवेश परीक्षा प्रोफेशनल एक्जीमिनेशन बोर्ड, म0प्र0 द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जावेगी। पाठ्यक्रम एवं मेरिट सूची के संबंध में जानकारियां निम्नानुसार हैं :–

बी.एड. (द्विवर्षीय) एवं बी.एड.—एम.एड. (इंटीग्रेटेड त्रिवर्षीय) हेतु : प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा ।

5.1

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	सामान्य मानसिक योग्यता (General Mental Ability)	30	30 अंक
2.	सामान्य चेतना (General Awareness)	20	20 अंक
3.	सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी (General Hindi and English)	20 (10 + 10)	20 अंक
4.	शैक्षणिक अभिरुचि (Teaching Aptitude)	30	30 अंक
	कुल	100	100

विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट—1 अनुसार है।

प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा समस्त आवेदकों की तथा मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों एवं बाह्य राज्यों के आवेदकों की पृथक—पृथक मेरिट सूची घोषित की जावेगी।

5.2 **एम.एड.(द्विवर्षीय) हेतु :** प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	सामान्य मानसिक योग्यता (General Mental Ability)	15	15 अंक
2.	सामान्य चेतना (General Awareness)	15	15 अंक
3.	भाषा बोध (Language Comprehension)	20	20 अंक
4.	शोध अभिरुचि (Research Aptitude)	20	20 अंक
5.	शिक्षण अभिरुचि (Teaching Aptitude)	30	30 अंक
	कुल	100	100

विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट—2 अनुसार है।

प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा समस्त आवेदकों की तथा मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों एवं बाह्य राज्यों के आवेदकों की पृथक—पृथक मेरिट सूची घोषित की जावेगी।

5.3 **बी०पी०एड० हेतु :** प्रवेश परीक्षा में 40 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1	विभिन्न खेलों का सामान्य ज्ञान (General Knowledge of different Games and Sports)	10	10 अंक
2	खेलों में पुरस्कार एवं सम्मान (Awards and Honours in Games and Sports)	10	10 अंक
3	खेलों से संबंधित प्रतियोगिताएँ, ट्रॉफीयाँ, शब्दावली एवं संक्षेपण (Trophies / Competition, Terminologies and Abbreviations in Games and Sports)	10	10 अंक
4	खेलों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ (International Competitions in Games and Sports)	10	10 अंक
	कुल	40	40

विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट—3 अनुसार है।

- 5.3.1 बी.पी.एड.** (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु आवेदकों को अनिवार्यतः फिटनेस टेस्ट (संलग्न परिशिष्ट 3(अ) एवं 3(ब) अनुसार) में भी सम्मिलित होना होगा एवं इसके लिए 60 अंक निर्धारित हैं, जिसमें आवेदक को न्यूनतम 24 अंक प्राप्त करना होगा। इसके लिए आवेदकों को उनके द्वारा चयनित हेल्प सेंटर पर निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार फिटनेस टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। अहंताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम 10 तथा स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए अधिकतम 15 बोनस अंक प्रदान किये जावेंगे। इस प्रकार कुल 125 अंकों में से समेकित प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी –

स.क्र.	विधा	कुल अंक
1	प्रवेश परीक्षा	40 अंक
2	फिटनेस टेस्ट	60 अंक
3	अहंताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर बोनस अंक <ul style="list-style-type: none"> a. 60 प्रतिशत एवं अधिक : 10 अंक b. 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम : 08 अंक c. 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम : 06 अंक d. 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 45 प्रतिशत से कम : 04 अंक 	10 अंक अधिकतम
4	स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए बोनस अंक <ul style="list-style-type: none"> a. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो। : 15 अंक b. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। : 10 अंक c. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की हो। : 05 अंक 	15 अंक अधिकतम
	कुल अधिकतम	125 अंक

- 5.3.2 फिटनेस टेस्ट :** आवेदकों के लिए फिटनेस टेस्ट का आयोजन निर्दिष्ट हेल्प सेंटर द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि अनुसार किया जावेगा। इसके लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपनी सुविधानुसार एक से अधिक हेल्प सेंटर का चयन प्राथमिकता क्रम से करना होगा। उपलब्ध आवेदकों की संख्यानुसार आवेदकों को फिटनेस टेस्ट हेतु हेल्प सेंटर आवंटित किया जावेगा। इसकी सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करायी जावेगी तथा आवेदक आवश्यक प्रविष्टि कर टेस्ट की तिथि एवं समय की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। फिटनेस टेस्ट के लिए आवेदक को आवंटित हेल्प सेंटर पर स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो कर समिलित होना होगा। फिटनेस टेस्ट में उपस्थित नहीं होने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। (संलग्न : परिशिष्ट 3(अ) छात्रों एवं 3(ब) छात्राओं के लिए) फिटनेस टेस्ट में समिलित होते समय आवेदक को अनिवार्यतः स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप 11 अनुसार) एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रारूप 9 अनुसार) प्रस्तुत करना होगा अन्यथा फिटनेस टेस्ट में समिलित नहीं किया जावेगा एवं इसका दायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।

फिटनेस टेस्ट में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि संबंधित हेल्प सेंटर द्वारा पोर्टल पर अनिवार्यतः ऑनलाइन उसी दिन दर्ज की जावेगी। इसके लिए संबंधित हेल्प सेंटर को एम.पी. ऑनलाइन द्वारा लॉगइन आई.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जावेगा।

- 5.4 एम०पी०एड० हेतु :** प्रवेश परीक्षा में 50 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्र.	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, गतिक्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा में सुधार (Anatomy, Physiology of Exercise, Kinesiology, Health Education and Correctives in Physical Education)	10	10 अंक
2.	शारीरिक शिक्षा का इतिहास, मूल आधार एवं मनोविज्ञान (History, Foundation and Psychology of Physical Education)	10	10 अंक
3.	शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ (Methods in Physical Education)	10	10 अंक
4.	निर्णयन एवं प्रशिक्षण (Officiating and Coaching)	10	10 अंक
5.	शारीरिक शिक्षा में परीक्षण, मापन एवं सांख्यिकी (Test, Measurement and Statistics in Physical Education)	10	10 अंक
कुल		50	50

विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-4 अनुसार है।

- 5.4.1 एम.पी.एड. (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु आवेदकों को अनिवार्यतः स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट (संलग्न परिशिष्ट 4(अ) अनुसार) में भी सम्मिलित होना होगा एवं इसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं, जिसमें आवेदक को न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करना होगा। इसके लिए आवेदकों को उनके द्वारा चयनित हेल्प सेंटर पर निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार फिटनेस टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम 10 तथा स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए अधिकतम 15 बोनस अंक प्रदान किये जावेंगे। इस प्रकार कुल 125 अंकों में से समेकित प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी –**

क्र.	विधा	कुल अंक
1	प्रवेश परीक्षा	50 अंक
2	स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट	50 अंक
3	अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर बोनस अंक a. 60 प्रतिशत एवं अधिक : 10 अंक b. 55 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम : 08 अंक c. 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 55 प्रतिशत से कम : 06 अंक d. 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम : 04 अंक	10 अंक अधिकतम

4	<p>स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी के लिए बोनस अंक</p> <p>a. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो। : 15 अंक</p> <p>b. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। : 10 अंक</p> <p>c. अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की हो। : 05 अंक</p>	15 अंक अधिकतम
	कुल अधिकतम अंक	125 अंक

5.4.2 स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट : आवेदकों के लिए स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट का आयोजन निर्दिष्ट हेल्प सेंटर द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि अनुसार किया जावेगा। इसके लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपनी सुविधानुसार एक से अधिक हेल्प सेंटर का चयन प्राथमिकता क्रम से करना होगा। उपलब्ध आवेदकों की संख्यानुसार आवेदकों को स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट हेतु हेल्प सेंटर आवंटित किया जावेगा। इसकी सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करायी जावेगी तथा आवेदक आवश्यक प्रविष्टि कर टेस्ट की तिथि एवं समय की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट के लिए आवेदक को आवंटित हेल्प सेंटर पर स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो कर सम्मिलित होना होगा। स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में उपस्थित नहीं होने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। (संलग्न : परिशिष्ट 4 (अ) अनुसार)

स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में सम्मिलित होते समय आवेदक को अनिवार्यतः स्व—घोषणा पत्र (प्रारूप 11 अनुसार) एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रारूप 9 अनुसार) प्रस्तुत करना होगा अन्यथा स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया जावेगा एवं इसका दायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।

स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में प्राप्त अंकों की प्रविष्टि संबंधित हेल्प सेंटर द्वारा पोर्टल पर अनिवार्यतः ऑनलाइन उसी दिन दर्ज की जावेगी। इसके लिए संबंधित हेल्प सेंटर को एम.पी. ऑनलाइन द्वारा लॉगइन आई.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जावेगा।

6. ऑनलाइन काउन्सिलिंग :

प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची एवं समेकित मेरिट सूची के प्रकाशन के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से सीटों का आवंटन मेरिट क्रमांक एवं आवेदकों द्वारा चुनी गई महाविद्यालयों के वरीयता के आधार पर किया जाएगा। एम०पी० ऑनलाइन के पोर्टल पर आवेदकों के ऑनलाइन प्रवेश हेतु पंजीयन, वरीयता, आवंटन एवं प्रवेश की संक्षिप्त प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

- 6.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं समस्त संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची तथा निर्धारित सीट संख्या दिनांक 16.05.2016 को एम०पी० ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 6.2 प्रवेश परीक्षा पश्चात् प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, म०प्र० द्वारा घोषित मेरिट सूची अनुसार समस्त अर्ह आवेदकों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम०पी० ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

- काउन्सिलिंग हेतु पंजीयन के लिए आवेदकों लिये पोर्टल शुल्क रु. 250/- (रु.दो सौ पचास) एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये रूपये 125/- (रु. एक सौ पच्चीस) देय होगा।
- काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत आवेदक को अभिस्वीकृति-पत्रक (Acknowledgement-Slip) जारी किया जायेगा, जिसमें आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर मुद्रित होंगे।
- काउन्सिलिंग के लिए पंजीकृत आवेदकों को आगामी चरणों में वरीयता व्यक्त करते समय रूपये 50/- (पचास) का शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होगा।
- प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे आवेदक जो अपना पंजीयन प्रथम चरण के आवंटन के पूर्व नहीं करा सके, अथवा ऐसे प्रावधिक आवेदक जिनकी अहंताकारी परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित हुआ हो, अपने अंकों की प्रविष्टि हेल्प सेंटर के माध्यम से अद्यतन कर द्वितीय/तृतीय चरण के आवंटन से पूर्व निर्धारित तिथियों में अपना पंजीयन कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नियमानुसार कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। इन आवेदकों के प्रवेश शेष चरण में रिक्त रह गए स्थानों पर ही गुणानुक्रम अनुसार हो सकेंगे।

6.3 काउन्सिलिंग के लिये महत्वपूर्ण तिथियां :

क्रमांक	कार्यवाही	तिथि
1.	मेरिट सूची अनुसार सफल आवेदकों द्वारा महाविद्यालयों में सीट आवंटन हेतु पंजीयन/महाविद्यालयों की वरीयताओं का चयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान।	18 मई, 2016 से 28 मई, 2016
2.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन	02 जून, 2016
3.	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	02 जून से 08 जून, 2016 तक
4.	प्रथम चरण पश्चात् महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की उपलब्धता	09 जून, 2016
5.	(i) द्वितीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित आवेदकों से महाविद्यालयों की पुनः वरीयता प्राप्त करना (ii) नवीन पंजीयन (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे।)	10 जून से 13 जून, 2016 तक
6.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन	17 जून, 2016
7.	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	17 जून से 20 जून, 2016 तक
8.	द्वितीय चरण पश्चात् महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की उपलब्धता	21 जून, 2016

	<p>9. (i) तृतीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित आवेदकों से महाविद्यालयों की पुनः वरीयता प्राप्त करना</p> <p>(ii) नवीन पंजीयन (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर इस चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे।)</p>	22 जून से 24 जून, 2016
10	मेरिट एवं वरीयता अनुसार तृतीय चरण में सीट आवंटन	27 जून, 2016
11	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	28 जून 11.30 बजे से 30 जून, 2016 सायं 5.30 बजे तक

6.4 आवेदक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं –

- आवेदक के निवास पर इंटरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से।
- आवेदक के शहर अथवा गाँव में स्थित इंटरनेट सुविधा से।
- एम०पी० ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

6.5 पंजीयन हेतु पोर्टल शुल्क का भुगतान आवेदक निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं –

- इंटरनेट बैंकिंग से।
- एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से।
- एम०पी० ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान से।

आवेदकों को सीट आवंटन संबंधी सूचना उनके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. द्वारा दी जायेगी किन्तु आवेदक संबंधित तिथियों पर स्वयं भी पोर्टल पर अवश्य चैक करें।

6.6 आवेदकों को काउंसलिंग हेतु पंजीयन करते समय बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु कम से कम 05 महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करना होगी। शेष अन्य पाठ्यक्रमों के लिये कम से कम 01 महाविद्यालय की सीमा निर्धारित है। आवेदकों की वरीयताओं एवं प्रवेश परीक्षा के गुणानुक्रम अनुसार तथा आरक्षण का लाभ देते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की जानकारी के साथ सीट-आवंटन-पत्र (Seat-Allotment-Letter) एम०पी० ऑनलाइन की वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in> पर जारी किये जावेंगे। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Original T.C.) यथास्थिति माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय के नाम बनाकर संबंधित पाठ्यक्रम के हेल्प सेंटर पर जमा कराने एवं प्रवेश की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

7. सीट आवंटन एवं प्रवेश :

- 7.1 आवेदक एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in> पर अपना पंजीयन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. एवं जन्मतिथि डालकर लॉगइन कर सीट आवंटन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
- 7.2 ऑनलाईन सीट आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक को आवंटित महाविद्यालय से संबंधित हेल्प सेंटर में ऑनलाईन आवेदन एवं सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभिप्रामाणीकरण के समय आवेदक को प्रदत्त सत्यापन पत्रक, सीट आवंटन पत्र (दो प्रतियों में), मूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र/माइग्रेशन प्रमाण पत्र (यथा स्थिति जो लागू हो) एवं प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम का प्रमाण, शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट, बी.पी. एड. एवं एम.पी.एड. आवेदकों हेतु शासकीय चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी मूल दस्तावेजों और उनकी छायाप्रतियां भी साथ लेकर जाना होगा।
- 7.3 हेल्प सेंटर के प्राधिकृत अधिकारी/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक द्वारा सभी प्रमाण—पत्रों की छायाप्रति प्राप्त करने के साथ ही मूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र को निरस्त कर, उस पर हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे। निरस्त स्थानांतरण प्रमाण—पत्र (टी.सी.) को वे अपने पास रखते हुए सीट आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे। प्राप्त प्रमाण—पत्रों की छायाप्रतियां एवं निरस्त टी.सी. आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य को हेल्प सेंटर द्वारा सौप दी जायेगी (मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इसे निरस्त नहीं करेंगे)। हेल्प सेंटर द्वारा प्रवेशित आवेदक की जानकारी ऑन लाइन पोर्टल पर भी अनिवार्यतः दर्ज की जावेगी।
- 7.4 राज्य शासन के आदेश क्रमांक 988/सीसी/14/38 दिनांक 06.06.14 एवं क्रमांक 123/406/आउशि/सम्ब0/15 दिनांक 04.06.2015 के तहत् स्नातक के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किन्तु स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत् एवं विविवि द्वारा 30.06.2016 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी निर्धारित प्रारूप में प्रावधिक स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रवेश ले सकेंगे। (प्रारूप 12 अनुसार)
- तथापि, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हो। स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ए.टी.के.टी. होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में वे केवल एक ही उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं।
- 7.5 आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदकों को हेल्प सेंटर पर प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो संबंधित महाविद्यालय के नाम देय हो तथा जिसके पीछे आवेदक का नाम, पंजीयन क्रमांक, पाठ्यक्रम का नाम एवं आवंटित महाविद्यालय का नाम अंकित हो, निर्धारित प्रवेश समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7.6 यदि आवेदक को उसके द्वारा व्यक्त प्रथम वरीयता ही आवंटित हो जाती है तो उसे संबंधित शिक्षण संस्था में प्रवेश लेना होगा एवं ऐसे आवेदकों को अगले चरण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

- 7.7** यदि आवेदक द्वारा व्यक्त महाविद्यालयों के विकल्पों में से कोई आवंटन उसे प्राप्त नहीं होता है अथवा प्रथम से कम वरीयता वाले आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी चरणों में पुनः महाविद्यालयों के चयन की सुविधा रहेगी, किन्तु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा। आवेदकों को चाहिये कि वे अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन अपनी रुचि एवं प्राथमिकतानुसार, बिना किसी दबाव एवं स्व-विवेक से, बहुत सोच-समझ कर करें जिससे मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में सुनिश्चित हो सके।
- 7.8** यदि किन्हीं दो आवेदकों के मेरिट अंक समान है, तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को पहले वरीयता दी जाएगी।
- 7.9** वांछित दस्तावेजों एवं शुल्क राशि के ड्राफ्ट को जमा करने के पश्चात् आवेदक संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। आवेदक को महाविद्यालय से संबंधित अन्य कार्यवाही जैसे परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय-पत्र इत्यादि बनवाने का कार्य आवंटित महाविद्यालय में ही पूर्ण करना होगा।
- 7.10** आरक्षित वर्ग के आवेदकों (केवल मध्यप्रदेश राज्य के आवेदक) की छात्रवृत्ति संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने के प्रमाण, संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत करने पर ही इन वर्गों के आवेदकों के ड्राफ्ट उन्हें सौंपे जावेंगे। अपरिहार्य कारणों से छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय/संस्थान से तदाशय का शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए ड्राफ्ट की अंतिम वैधता तिथि के 07 दिवस पूर्व सौंपे जाने की कार्यवाही की जावे।
- 8.** प्रवेश का निरस्तीकरण : यदि कोई प्रत्याशी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाकर या किसी अन्य त्रुटि या अनदेखी के कारण प्रवेश पा लेता है अथवा प्रवेश के बाद प्रत्याशी की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई कमी पायी जाती है या उसके मूल प्रमाण-पत्रों अथवा दस्तावेजों का जाली पाया जाता है तब आवेदक का प्रवेश बिना कोई सूचना दिये तत्काल निरस्त किया जायेगा और आवेदक द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह कार्यवाही पूरे पाठ्यक्रम के दौरान कभी भी की जा सकती है।
- 9.** शुल्क वापसी : आवंटित शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् प्रवेश निरस्त या महाविद्यालय परिवर्तन करने के लिये किये गये किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं आवेदक द्वारा जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं की जावेगी।
- 10.** अन्य प्रक्रिया
- 10.1** त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्रमाण पत्र : यदि आरक्षण या किसी अन्य दावे संबंधी प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रवेश के समय गलत या अपूर्ण पाये जाते हैं तो हेल्प सेंटर संबंधित आवेदक को प्रोफेशनल एजॉमिनेशन बोर्ड, भोपाल

प्रवेश नहीं देंगे एवं इसकी लिखित सूचना अविलंब एम.पी. ऑनलाईन और आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को देंगे।

- 10.2 अग्रणी महाविद्यालय काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंधित चरण की समाप्ति के पश्चात् निरस्त किये गये स्थानांतरण प्रमाण—पत्र एवं प्रवेश शुल्क के ड्राफ्ट सूचीबद्ध कर संबंधित महाविद्यालयों को कंडिका 7.8 का पालन करते हुए सौंपेंगे। समस्त शिक्षण संस्थाएं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नाम से खाता खुलवायेंगे जिसमें छात्रों द्वारा प्रस्तुत उनके महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नाम से बनाये गये ड्राफ्ट जमा करवा सकेंगे।
- 10.3 आरक्षित वर्ग (केवल म0प्र0 राज्य के आवेदक) की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात्, हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) को प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर कंडिका 7.8 अनुरूप अंतरित की जायेगी। सामान्य वर्ग एवं बाह्य राज्यों के समस्त आवेदकों के ड्राफ्ट समय—समय पर चरण समाप्ति उपरांत संबंधित महाविद्यालयों को सौंपे जायेंगे।
- 10.4 संस्थाओं की किन्ही कारणवश संबद्धता समाप्त की जाती है तो विद्यार्थियों को अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित करने की कार्यवाही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।
- 10.5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी 276/12 में पारित निर्णय अनुसार निर्धारित तिथियों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा। किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जायेगी।
- 10.6 कंडिका 1.3 में उल्लेखित तिथियों के पश्चात् मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र की काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा।
- 10.7 बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फिटनेस/प्रोफिसियंसी टेस्ट तथा प्रवेश के समय शासकीय चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(प्रारूप 9 अनुसार)
- 10.8 एनसीटीई द्वारा जारी रेगुलेशन के किसी प्रावधान को यदि परिवर्तित किया जाता है तो तदनुसार उसे मार्गदर्शी सिद्धान्त में समावेश करते हुए संशोधित किया जावेगा।

उप सचिव,
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

v/; k; & 2

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के परीक्षा संचालन के निर्देश

[k. M&V]

- 2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अहंता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
(ii) विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
(iii) एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को एक ही आवेदन पत्र भरना होगा, तथा आवेदन पत्र में पाठ्यक्रमों का विकल्प स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
- 2-2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अहंतायें उच्च शिक्षा विभाग की नियमावली अध्याय –1 की कण्ठिका 2.1 एवं 2.4 के अनुसार मान्य होगी।
(ii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी के सत्यापन के संबंध में नियम पुस्तिका में उल्लेखित तिथियों में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (परिशिष्ट 5, 6 एवं 7 में उल्लेखित शासकीय महाविद्यालय) से मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति को निरस्त किया जा सकेगा।
- 2-3 i jh{k gky e{ys tkus g{q vko'; d l kexh %&
(i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश—पत्र।
(ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र — मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।
(iii) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह—आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- 2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beeper), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and Whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।
- 2-5 fyf[kr i jh{k e{fu% kDrtu vH; ffk{ k{ ds fy, mi yC/k l fo/kk, j %&
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :—
- (i) ; g l fo/kk fuEufyf[kr vH; ffk{ k{ ds i nku dh tkosxh %&
1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) **y[ku fyfi d dh | fo/kk %&**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :—

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट
1 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	20 मिनट

(iii) **y[ku fyfi d dh fu; fDr g[q 'kr%&**

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का हो।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

(iv) **bl ds vfrfjDr i nk; dh tkus okyh | fo/kk, W%&**

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2-6 **i d's k&i = i klr djus dh i fØ; k %&**

ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश—पत्र मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन—पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-7 **i jh{k k i d's k&i = (Test Admit Card) :-**

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन—पत्रों के प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।

- (ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो—भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iv) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2-8 eV; kdu i) fr \%

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-9 $=\text{fVi wkl i t u] ml dk fuj Lrhdj .k , oacnys e\fn; k x; k vd \%}$

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- कोई भी विकल्प सही न हो।
- यदि प्रश्न—पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न—भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न—पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj.k 01 :— यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

mnkgj.k 02 :— यदि किसी 50 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 48 प्रश्नों में 40 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{40 \times 50}{(50 - 2)} = 41.66 \text{ rounded off to } 42.00$$

mnkgj.k 03 :— यदि किसी 40 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 38 प्रश्नों में 30 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{30 \times 40}{(40 - 2)} = 31.57 \text{ rounded off to } 32.00$$

उक्त % सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2-10 i t ui flrdk ds i t uks ds | c/k e vH; konu %

- (i) प्रश्न—पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न—पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ—साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-11 vuifpr | k/ku % Unfair means, UFM %

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :—

- (i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला—बदली करना।
- (vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- (xii) उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के

अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

- (xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मण्डल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

(xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ओ०ए०आर० उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ०ए०आर० उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ०ए०आर० उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू०एफ०ए० समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू०एफ०ए० मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xvii) परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू०एफ०ए० मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xviii) आफलाईन परीक्षा पद्धति में आवेदक द्वारा ओ.ए.म.आर. उत्तर शीट में पेसिंल से उत्तर अंकित किये जाने पर यू०एफ०ए० प्रकरण मान्य करते हुये संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

(xix) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई कार्य, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दृष्टि होती हो।

2-12 i j h{kk i fj .kke dk i zdk'ku %&

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ—साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

2-13 i j h{kk i f j . kke %&

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
(ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-14 e-i z Ø; kol kf; d i j h{kk eMy dk dk; l i ðs k@Hkrh@i k=rk i j h{kkvka dk I pkyu ,oa
ml dk i fj .kke ?kks"kr djuk ek= gksxk %&

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

(ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.15 ||; kf; d {ks=kf/kdkj %& परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k. M&C

2.16 vklykbLu vkonu&i = ds | kfk | myXu fd; s tkus okys nLrkostk dk fooj .k %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ आवेदक को आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप—15 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।

2.17 vklykbLu vkonu i = ds | kfk QkVks ,o gLrk{kj | myXu djus | ckh funf k%&

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप—15 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मांपदड़ के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ vkonu Hkjus dh frffk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QkVkskO ij f[kpokus dh fnukd o vkond ds uke dk Li "V mYyf k gkuk pkfg; A
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।
- (xi) **fu' %Ortu vH; Fkh tks gLrk{kj djus ei vi eFk g os vH; Fkh vi us vxBs dk fu' kku yxk I drs gSA**

2.18 , e-i h- vklykbLu fd; kld ds ek/; e I s vkonu Qkez Hkjus dh fof/k %&

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन—पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार पर कियोस्कधारक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जायेगा।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही—सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराइज्ड आवेदन—पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि तक (मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान) निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-19 vklykblu vkonu Hkj us ds | c/k e funsk %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) i gpk i = ds ehuw ei ernkrk i gpk i =] i udkM] v k/kk j dkM] M; fo k yk; l s] vdl ph e; QkV/kxtQ] cd i kl cd e; QkV/kxtQ rFkk i kl i kVZ dk i ko/kku j [kk x; k gA
- (iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dkmu l k gS bl dh tkudkj h vfrfjDr l g&vkblh ds : i ei inku djuh gkxhA
- (iv) vkond dks vkonu i = ei 'kjhj ds LFkk; h fpUg rFkk i jh{k ds l e; i Lrfd fd; s tkus okys QkVks i gpk i = dk fooj.k rFkk Øekd vfuok; l : i l s vfdr fd; k tkuk gkxhA buds vHkko ei vkonu i = Lohdkj ugh gkxhA
- (v) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (vi) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा।

2-20 vklykblu vkonu&i = Hkj us dh 0; oLFkk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी.आनलाईन की ocl kbM www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कोई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की बेवसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-21 vklykblu vkonu&i = Hkj us grq nks fodYi g %&

hVh bVj uV dQs }kj k WD; kLdV %C% Lo; ad s dEi; Wj }kj k

- (i) आवेदक बेवसाईट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** लिंक कर **Vyapam** लिंक में

प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **Instructions** तथा परीक्षा **Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तालिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तालिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

1/10 MV@MfcV dkMz 1/10 b/juV cfdk

2-22 *0MV@MfcV dkMz ds ek/; e I s i jh{k 'k/d dk Hkxrku %&*

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2-23 *b/juV cfdk ds ek/; e I s i jh{k 'k/d dk Hkxrku %&*

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2-24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि तक (मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान) निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-25 *fu/kfj r frffk e tek fd, x, vkykbu vkonu i = e I d kku dh 0; oFkk*

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात् नियम पुस्तिका में उल्लेखित तिथि अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में यदि कोई संशोधन है तो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों के सत्यापन से पूर्व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (शासकीय महाविद्यालय / विश्वविद्यालय) के माध्यम से संशोधन करा सकता है ।
- (ii) उपरोक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी ।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा सत्यापन से पूर्व एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा, किन्तु कोई भी संशोधन mPp f' k{kk foHkkx ds | R; ki u ds i 'pkf fd; k tkuk | Hko ugha gkxk A
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी ।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा ।
- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक के Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन—पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा । इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा ।

2-26 , d | s vf/kd vkllykbu vkonu&i = Hkj us | tdkh funi k %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन—पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा “हॉ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन—पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन—पत्र ही मान्य होगा ।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाइल नंबर/ई—मेल आई.डी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया

आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन—पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन—पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-27 **विषयक्ति विकल्प & उत्तर**

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- 2-28 ऑनलाईन आवेदन—पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्र. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।
- 2-29 अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना प्रवेश के चालू वर्ष की 01 जुलाई की स्थिति में की जावेगी। इसके अतिरिक्त विभागीय नियमों में यदि कोई विशिष्ट प्रावधान रखे गये हैं तो वे मान्य होंगे।
- 2-30 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।
- 2-31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

[k. M&I]

2-32 vkonu i = Hkjus dh | e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
15-02-2016	15-03-2016	30	16-02-2016	18-03-2016	32

2-33 fjf[kr vkykbu ijh{kk dk fooj.k

सं. क्र.	परीक्षा	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	बी.एड., एम.एड. तथा बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत) पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र	24.04.2016	रविवार	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2.	एम.पी.एड. पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र	24.04.2016	रविवार	01 घंटे	सायं 04:00 से 05:00 तक	50
3.	बी.पी.एड. पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र	24.04.2016	रविवार	01 घंटे	सायं 04:00 से 05:00 तक	40

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार सभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस के माध्यम से काला करना होगा।

2-34 (i) ijh{kk 'kgd %&

सं.क्र.	प्रश्नपत्र की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	(म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)		आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क
			अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये	
01-	nks	700/-	350/-	350/-	70@&
02-	, d	500/-	250/-	250/-	70@&

(ii) I dkkyku fd; s tkus ij ns 'kgd

सं.क्र.	प्रश्नपत्र की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येक संशोधन किये जाने पर		
		शुल्क	पोर्टल शुल्क	
01-	, d	100/-		50/-

2-35 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा ऑनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य निकटस्थ परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

vkykbu ijh{kk dñz					
1. भोपाल	2. ग्वालियर	3. रायसेन	4. इन्दौर	5. जबलपुर	6. रत्नाम
7. बुरहानपुर	8. कटनी	9. मुरैना	10. खण्डवा	11. गुना	12. सतना
13. सागर					

2-36 ijh{kk e॥ ifo"B gkus ds fy; s i k=rk dk fooj.k %&

(नियम पुस्तिका की कंडिका 2.1 एवं 2.4 के अनुसार)

I.K. M&n

vkluykblu i jh{kk i z kkyh ds | c;k e; fun;k

2-37

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) व्यापम की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) व्यापम कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन mRj अंकित करने के लिये किया जाना होगा।
- (vii) व्यापम की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित / संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार / अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

अनुभाग.....	जिला..... मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....	प्रकरण क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक	जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम
..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के संविधान
अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप
में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक
..... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से
संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के
अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे,
न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के
सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम के नाम निवासी है जो जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौबन, दिनांक 02 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है जो कि सूची के क्रमांक.....पर अंकित है।

श्री (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला संभाग में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री (पिता का नाम) क्रीमीलियर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.2003 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-28/2009/आ.प्र.-1 दिनांक-2 जुलाई, 2013 की कंडिका क्रमांक 6 के कॉलम 3 (क) के अनुसार।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-3(अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक / मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी / स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी
संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो
कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम)
के पिता/माता हैं एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम
का नाम) (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने स्थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पर पर सर्विस क्रमांक
..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए
हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक
..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दोरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो
गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान.....
दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
हस्ताक्षर

.....
(कार्यालय सील)

प्रारूप-3(ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीजो
कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम)
के पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम
का नाम) (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने स्थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पर पर सर्विस क्रमांक.....
..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो
गए हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक
..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो
गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

दिनांक.....

हस्ताक्षर

.....
(कार्यालय सील)

प्रारूप-3(स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण—पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि
श्री / श्रीमती / कुमारी (आवेदक का नाम) जो उच्च शिक्षा
विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम का नाम) प्रवेश चयन आवेदन पत्र
वर्ष के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है तथा श्री / श्रीमती /
..... आवेदक के पिता / पति / माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी
रूप से (स्थान) तहसील जिला
..... में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय सील

प्रारूप—4
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती (आवेदक के पिता/माता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है। जो श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
- (2) श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (.....) में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान

हस्ताक्षर कलेक्टर

दिनांक

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप-5

स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
(अस्टाम्पित कागज़ पर)

फोटो
स्व प्रमाणित

मैंआत्मज/पति श्रीआयु लगभग.....
वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मैं वर्तमान मेंमें निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमतीएवं उम्र (लगभग)वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री –
 1. श्री/कु.आयु (लगभग)वर्ष
 2. श्री/कु.आयु (लगभग)वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है, उनका विवरण अंकित करें)
 1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबरमोहल्लाग्राम
..... तहसीलजिलामें वर्षमें पैदा हुआ/हुई हूँ।
 2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्लाशहरतहसील
.....जिलामें विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ।
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे।)
 3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नामकार्यालय का नाम
.....विभाग का नामके पद पर पदस्थ हूँ/से सेवा निवृत्त हुआ हूँ।
 4. मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापितनामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग मेंपद परकार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)
 5. मैं केन्द्र शासन केविभाग मेंके पद परकार्यालयतहसीलजिलाके पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष बैच) अधिकारी हूँ।पद पर
कार्यालय/मंत्रालयमें पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)
8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण—पत्र संलग्न करें)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंआत्मज/पति श्री आयु वर्ष निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा—पत्र की कंडिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांकवर्ष को रथानमें किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा—पत्र में किया जाये)

प्रारूप—6

आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (सादे कागज़ पर)

मैंआत्मज श्रीआयुवर्ष

शपथ पूर्वक कथन करता / करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान मेंमैं निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राममेंहेक्टेयर / एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपयेशब्दों मेंकी वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसायहै, इससे मुझे वार्षिक आय रुपयेशब्दों मेंहै।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपयेशब्दों मेंहै।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं -
 1. 2. 3. 4. 5.
 (परिवार से आशय पति / पत्नि / अवयस्क पुत्र / पुत्री / आश्रित माता या पिता से हैं।)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपयेशब्दों मेंहै।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है / शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभगसमय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र / शपथ-पत्र राशिरुपये वार्षिक का प्राप्त किया / दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशिवार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
 (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंआत्मज / पति श्रीआयुवर्ष, निवासीसत्यापन करता / करती हूँ कि शपथ-पत्र की कंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जावेंगे।

सत्यापन आज दिनांकवर्षको स्थानमें किया गया।

हस्ताक्षर

प्रारूप-7

बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(All SC/ST Candidates are required to submit their Caste Certificate in the prescribed format only)

This is to certify that Shri/Shrimathi*/Kumari* _____

Son/daughter* of _____

of village/town* _____

in District/Division* _____ of the State/Union

Territory* _____ belongs to the _____ Caste/ Tribe* which is recognized
as a Scheduled Caste Scheduled Tribe*

Under:

The Constitution (Scheduled Castes)Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

(As amended by the Scheduled Castes and Schedules Tribes Lists (Modification Order)1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Schedules Tribes Orders(Amendment) Act, 1976.)

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;

*The Constitution(Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders(Amendment)Act, 1976;

*The constitution(Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;

*The Constitution (Uttar Pradesh, Scheduled Tribes Order, 1967;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968;]

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; *The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. *The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991. *The Constitution(Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act,1991.

**This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes

Certificate issued to Shri/Shrimathi* _____

father/mother*of Shri/Shrimathi/Kumari* _____ of

village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory*

who belong to the Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* _____ issued by the

_____ dated _____.

Shri/Shrimathi*/Kumari* _____ and/or* his/her* family ordinarily
reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* of
the State/Union Territory* of _____.

Signature_____

Designation_____

(With seal of office) State/Union Territory

Place:_____

Date:_____

Note: The term “Ordinarily resides” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

Please delete the words which are not applicable.

** Applicable in the case of SCs, STs Persons who have migrated from one State/UT (Employment News 9/92).xI

प्रारूप-8

बाह्य राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL) APPLYING FOR ADMISSION)

This is to certify that Shri/Smt./Kum. _____ Son / Daughter of Shri / Smt. _____ of Village/Town _____ District / Division _____ in the _____ State belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class under:

1. Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.186 dated 13/09/93.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
4. Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
5. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
6. Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
8. Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
9. Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
10. Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
11. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 21/09/2000.
12. Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
13. Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
14. Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
15. Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 16/01/2006.

Shri/Smt./Kum. _____ and/or his family ordinarily reside(s) in the _____ District / Division of _____ State. This is also to certify that he / she does not belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate / Competent Authority

Seal

NOTE:

- (a) The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
(b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:

1. District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)
 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
 3. Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.
- (c) The annual income /status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2014

प्रारूप-9

बी.पी.एड. / एम.पी.एड. पाद्यक्रम में प्रवेश हेतु

चिकित्सा प्रमाणपत्र

(मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

For Admission in B.P.Ed./M.P.Ed.Course

MEDICAL CERTIFICATE

(To be certified by a Registered Medical Officer)

1. Name:- _____ Sex:- _____ (M/F) Blood Gr. _____
2. Height (in cm):- _____ Weight(in kg):- _____
3. Physical appearance and Musculature:- Robust/Average/Weak
4. Previous History of Fracture or other injuries (Give Details):-

5. C.N.S.: - _____
6. C.V.S.: - _____
1. Respiratory System: - _____
2. Liver: - _____
3. Spleen: - _____
4. Hernia Site: - _____
5. Throat: - _____
6. Ears (Perforation/Discharge/Any other) : - _____
7. Hearing: - _____
8. Eyes: - _____ Vision(Without Glass): - _____
Color Blind (Partial/Complete): - _____
9. Any Body deformity (Such as Kyphosis, Lordosis, Scoliosis, Knock Knee, Bow Legs Flat Feet etc): - _____
10. History of Epilepsy, Asthma, T.B., V.D., Allergy, etc.: - _____
11. Sensibility to drugs ,if any :- _____

I certify that I have this day carefully examined (Name) _____

And have recorded my observation as given above. I am satisfied that he /she is fit/unfit for undergoing training in Physical Education which involves strenuous physical activities and competitive games. I further certify that the candidate has been inoculated/vaccinated for:

- (a) Tetanus: _____ (b) Typhoid : _____
(c) Chickenpox : _____ (d) Hepatitis-b: _____
(e) Any Other: _____

Signature of the Candidate

Signature: _____

Name: _____

Reg. No. _____

Address: _____

Seal:

Date: _____

प्रावधिक आवेदकों द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र

(प्रवेश निर्देश 2016 की कंडिका 2.4 अनुसार)

1. मैं (आवेदक का नाम) -----पिता / पति
का नाम -----पंजीयन क्रमांक -----
वचन देता हूँ/देती हूँ कि (अर्हकारी परीक्षा का नाम) -----के
आधार पर मैं (सम्मिलित परीक्षा का नाम) -----की प्रवेश
परीक्षा 2016 में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ।
2. मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि मेरी अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर मुझे प्रवेश निर्देश अनुसार सम्बंधित हेल्प सेंटर पर निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर अपने प्राप्तांक MPOonline के पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।
3. मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि पूर्ववर्ती किसी भी सेमेस्टर में एटीकेटी नहीं है तथा आवेदित पाठ्यक्रम हेतु एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश हेतु पात्र रहूँगा/रहंगी।
4. मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने या अर्हकारी परीक्षा में वांछित प्रतिशत प्राप्त नहीं होने या अर्हकारी परीक्षा में अनुतीर्ण होने से यदि मैं ऑनलाइन काउन्सिलिंग में निर्धारित तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन कराते हुए पंजीयन नहीं कर पाता हूँ तो मेरे प्रवेश पर विचार नहीं किया जावेगा तथा यह स्थिति मुझे मान्य होगी। मैं प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।
5. प्रवेश निर्देश 2016 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों को मैंने भलीभांति पढ़ लिया है तथा मैं इससे पूर्णतः सहमत होते हुए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ एवं ये मुझ पर बंधनकारी होंगे।
6. मुझे यह भी जात है कि मेरे द्वारा असत्य/भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम -----

पता -----

मोबाइल नंबर -----

दिनांक :

फिजिकल फिटनेस टेस्ट / स्पोर्ट्स प्रोफिशियंसी टेस्ट में सम्मिलित होने हेतु आवेदक
द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा पत्र

मैं-----

----- (आवेदक का नाम) -----

----- (पिता / पति का नाम) -----

----- (आई डी क्रमांक) यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं बी.पी.एड./ एम.पी.एड.* हेतु फिजिकल फिटनेस टेस्ट/स्पोर्ट्स प्रोफिशियंसी टेस्ट देने हेतु पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ एवं मैं अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर इस टेस्ट में ----- (टेस्ट सेंटर का नाम) स्थान ----- दिनांक ----- पर सम्मिलित हो रहा/रही हूँ। टेस्ट के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
 इसके साथ ही नियमानुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम -----

पता -----

मोबाइल नंबर -----

दिनांक :

* जो लागू ना हो उसे काट दें।

प्रावधिक स्थानांतरण प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमतीआत्मज/आत्मजा
श्री.....एवं श्रीमतीइस महाविद्यालय का/की
नियमित छात्र/छात्रा है तथा सत्र से आज दिनांक तक स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में
अध्ययनरत् है। वह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में जो कि 30 जून, 2016 तक समाप्त हो रही है, में
सम्मिलित हो रहा है/रही है/सम्मिलित होगा/होगी। महाविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उनकी
जन्मतिथिहै।

नियमतः मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र उनके वर्तमान पाठ्यक्रम की परीक्षा हो जाने के पश्चात् जारी
किया जायेगा।

छात्र का चरित्र और चाल—चलन अच्छा है। यदि छात्र अपनी पात्रता के अनुसार और अपनी रुचि
की संस्था में किसी उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है/लेती है तो इस संस्था को कोई आपत्ति नहीं
होगी।

दिनांक :

कार्यालय सहायक द्वारा अभिलेखों
के आधार पर सत्यापित

अभिलेख का सत्यापन

प्राचार्य
(शासकीय / अशा. महाविद्यालय)

आवेदक का वचनपत्र

मै.....यह वचन देता हूँ कि यह प्रावधिक स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मेरे
आवेदन पर महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। निर्धारित तिथि तक मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं
करने/ATKT के कारण पाठ्यक्रम निरंतर रहने एवं आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त होने पर संपूर्ण दायित्व
स्वयं का होगा। मुझे यह भी ज्ञात है कि प्रवेश निरस्त होने पर जमा शुल्क वापस नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

आवेदित पाठ्यक्रम का नाम

पंजीयन क्रमांक.....

प्रारूप-13
(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक / उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....

स्थान
दिनांक

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :—

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो
 यहाँ चिपकाये
**4" x 5" cm photo
paste here**

Box-1
हस्ताक्षर / Signature**Box-2**
निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँगेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

बी0एड0 (द्विवर्षीय) बी.एड.–एम.एड. (इंटीग्रेटेड त्रिवर्षीय)**प्रवेश परीक्षा 2016 हेतु पाठ्यक्रम**

बी0एड0 (दो वर्षीय) एवं बी.एड.–एम.एड. (इंटीग्रेटेड तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	सामान्य मानसिक योग्यता (General Mental Ability)	30	30 अंक
2.	सामान्य चेतना (General Awareness)	20	20 अंक
3.	सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी (General Hindi and English)	20 (10 + 10)	20 अंक
4.	शैक्षणिक अभिरुचि (Teaching Aptitude)	30	30 अंक
कुल		100	100

बी०एड० (द्विवर्षीय) बी०एड०-एम०एड० (इंटीग्रेटेड त्रिवर्षीय)

प्रवेश परीक्षा 2016 हेतु पाठ्यक्रम

Syllabus of B.Ed. (2 years) & B.Ed.-M.Ed. (Integrated 3 years)

Entrance Examination 2016

कुल अधिकतम अंक : 100

Total Max. Marks : 100

भाग-1

सामान्य मानसिक योग्यता

(30 अंक)

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, अंक एवं आकृति, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी समस्याएं एवं विभिन्न प्रकार के पैटर्न इत्यादि।

Part-1 GENERAL MENTAL ABILITY

Reasoning, Seeing relationship, Analogies, Numerical ability and Spatial relationship, Odd man out, Number series, Letter series, Relationship through letters, numbers and figures, Code language, Hidden figures, Mathematical operations, Matching figures, Cube problems and Patterns of different kinds etc.

भाग-2 सामान्य चेतना

(20 अंक)

सामान्य विज्ञान खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों का स्तर मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ एवं भारत तक सीमित होगा।

1.	भारतीय इतिहास	भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद के घटनाक्रम।
2.	राजनीति विज्ञान	मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एकता, नागरिकता, मताधिकार, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्य सभा संबंधी मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3	अर्थशास्त्र	सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट-राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4	भूगोल	प्राकृतिक संसाधन एवं संपदा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारत के राज्यों की भौगोलिक विशेषताएँ।
5	सामान्य विज्ञान	मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, सामान्य वैज्ञानिक घटनाएँ।
6	समसामयिक घटनाक्रम एवं खेल-कूद।	

Part-2 GENERAL AWARENESS

The focus will be limited to India and with special reference to Madhya Pradesh, except in the area of General Science.

1.	Indian History	Indian Cultural Development, Historical events, History of Indian Independence (1857 to 1947), Development after 1947.
2.	Political Science	Fundamental Duties and Rights, Important Provisions of Constitution regarding Education, Language, Cultural, National unity, Citizenship, Franchise, National Symbol and National Personalities, Parliament Assemblies.
3.	Economics	Socio-economic Development, Population Perspectives, Gross National Product, Per Capita Income, Education Budget - State and Country, Planning Process, Agriculture, Rural Development, Industrial and Commercial Development, Indian Economy, Banking System, Employment Problem, Current Economic Events.
4.	Geography	Natural Resources and Wealth, Environment and Ecology, Geographical features of Indian States.
5.	General Science	Important Inventions and Inventors, Health and Hygiene, General Scientific Phenomenon.
6.	Current Affairs and Sports.	

भाग-3 / Part-3 सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी

(कुल अंक 20)

सामान्य हिन्दी (10 अंक)

अ. व्याकरण

1. वर्णमाला – स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अनुनासिक, अनुस्वार
2. संज्ञापद, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग
3. समास –रचना एवं प्रकार
4. संधि – नियम एवं प्रकार
5. कथन (वाक्य रचना) के प्रकार – विनम्रता सूचक, विधि-निषेध, काल-बोध, स्थान एवं दिशा बोध
6. कारण-कार्य संबंध, अनुक्रम
7. व्याकरणिक अशुद्धियाँ

ब. शब्द बोध

1. शब्द रचना – उपसर्ग, प्रत्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रभाव,
2. शब्द प्रकार – तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, नवनिर्मित,
3. शब्दार्थ – पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म
4. अशुद्धि संशोधन – उच्चारणगत, वर्तनीगत, शब्द व शब्दार्थगत
5. हिन्दी के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, पारिभाषिक शब्द निर्माण के आधार

6. पारिभाषिक शब्द— प्रशासनिक, मानविकीय, वाणिज्यिक

स. रचना

- | | | | |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| (क) प्रतिवेदन | (ख) आदेश | (ग) ज्ञापन | (घ) अधिसूचना |
| (ड.) परिपत्र | (च) अनुस्मारक | (छ) पृष्ठांकन | |
| मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं प्रयोग | | | |
| गद्यांश एवं अवबोध प्रश्न | | | |

द. 1. मानक भाषा — स्वरूप एवं लक्षण

2. वाक्य रचनागत अशुद्धियों की पहचान

General English (10 अंक)

1- Simple and Compound Sentences

2- Type of Clauses

3- Transformation of Sentences

4- Tenses

5- Change of Voice and Narration

6- Modals

7- Verb Structures

8- Tag Questions

9- Propositions

10- Prefixes and Suffixes

11- Synonyms and Antonyms

12- Reading Comprehension - Comprehension of a passage containing about 300 words dealing with a subject of general nature followed by multiple choice questions.

भाग-4

शैक्षणिक अभिरूचि

(30 अंक)

बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं एवं जानकारी, शिक्षकीयवृत्ति में रुचि।

Part-4

Teaching Aptitude

Aptitude towards Children, Adaptability, Professional Information and Interest in Teaching Profession.

एमोएडो प्रवेश परीक्षा 2016 हेतु पाठ्यक्रम

एमोएडो दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	सामान्य मानसिक योग्यता (General Mental Ability)	15	15 अंक
2.	सामान्य चेतना (General Awareness)	15	15 अंक
3.	भाषा बोध (Language Comprehension)	20	20 अंक
4.	शोध अभिरुचि (Research Aptitude)	20	20 अंक
5.	शिक्षण अभिरुचि (Teaching Aptitude)	30	30 अंक
कुल		100	100

एम0एड0 प्रवेश परीक्षा 2016 हेतु पाठ्यक्रम
Syllabus of M.Ed. Entrance Examination 2016

कुल अधिकतम अंक : 100
Total Max. Marks : 100

Part I

15 Marks

General Mental Ability सामान्य मानसिक योग्यता

- Number series; letter series; coding & decoding
अंक श्रेणी; वर्ण श्रेणी; कूट और कूटानुवाद
- Classification
वर्गीकरण
- Relationships, including spatial
सम्बन्ध, स्थानिक/देशिक सहित
- Analogies
सादृश्यताएँ
- Logical diagrams
तार्किक आरेख
- Venn diagram
वेन आरेख

Part II

15 Marks

General Awareness सामान्य चेतना

- भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विकास क्रम की चेतना - प्राचीन एवं आधुनिक
Awareness of India's Political, Economic, Social, Historical & Cultural development - Ancient and Modern.

Part III

20 Marks

Language Comprehension भाषा बोध

- शिक्षा संबंधी गदयांश (हिन्दी एवं अंग्रेजी) को पढ़ने तथा उस पर आधारित भाषा एवं बोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता
Ability to read an education related passage (Hindi & English) and answer language and comprehension questions based on it.

Part IV

20 Marks

Research Aptitude शोध अभिरुचि

- General methods of enquiry including scientific approach
वैज्ञानिक उपागम सहित खोज की सामान्य विधियाँ
- Deductive & inductive reasoning
निगमनात्मक एवं आगमनात्मक तर्क
- Contemporary issues in school education and emergent concerns

स्कूल शिक्षा मे समकालीन मुद्दे एवं उदीयमान सरोकार

- Sources, collection and interpretation of data
डाटा के स्रोत, संकलन एवं व्याख्या
- Simple descriptive statistics
सरल वर्णनात्मक सांख्यिकी
- Graphical presentation of data
डाटा का आरेखीय प्रस्तुतीकरण

Part V

30 Marks

Teaching Aptitude शिक्षण अभिरुचि

- Contexts of education- socio-political, historical, economical and philosophical
शिक्षा के संदर्भ - सामाजिक - राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक एवं दार्शनिक
- Teaching- Learning: Nature, Objectives, Characteristics and Process
शिक्षण-अधिगम : प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएँ एवं प्रक्रिया
- Learner's characteristics
अधिगमकर्ता की विशेषताएँ
- Disability and inclusion issues
निर्याग्यता एवं समावेशीकरण मुद्दे
- Dynamics of Teaching- Learning process
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के आयाम
- Methods of Teaching- Learning
शिक्षण-अधिगम की विधियाँ
- Innovations in Teaching Learning
शिक्षण-अधिगम मे नवाचार
- Teaching – Learning aids
शिक्षण-अधिगम सहायक सामग्री
- Evaluation of Teaching- Learning
शिक्षण-अधिगम का मूल्यांकन
- Information and Communication Technology in Education
शिक्षा मे सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी

—0—

बी0पी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2016 हेतु पाठ्यक्रम

बी0पी0एड0 दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में 40 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	विभिन्न खेलों का सामान्य ज्ञान (General Knowledge of different Games and Sports)	10	10 अंक
2.	खेलों में पुरस्कार एवं सम्मान (Awards and Honours in Games and Sports)	10	10 अंक
3.	खेलों से संबंधित प्रतियोगिताएँ, ट्रॉफीयों, शब्दावली एवं संक्षेपण (Trophies / Competition, Terminologies and abbreviations in Games and Sports)	10	10 अंक
4.	खेलों की अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ (International Competitions in Games and Sports)	10	10 अंक
कुल		40	40 अंक

बी०पी०ए० प्रवेश परीक्षा 2016 हेतु पाठ्यक्रम
Syllabus of B.P.Ed. Entrance Examination 2016

कुल अधिकतमत अंक : 40
Total Max. Marks : 40

भाग – 1 विभिन्न खेलों का सामान्य ज्ञान

विभिन्न खेलों का इतिहास, परिमाप एवं सरल नियमों सहित सामान्य ज्ञान अर्थात् ट्रैक एवं फील्ड, फुटबॉल, हॉकी, बैण्डमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, टेबल-टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती, जूडो, भारोत्तोलन, हेण्डबॉल, तैराकी एवं टेनिस।

Part – 1 General Knowledge of different Games and Sports

General Knowledge of different Games and Sports including History, Measurements and Simple rules /laws i.e. Track and Field, Football, Hockey, Badminton, Basketball, Cricket, Kabaddi, Kho-Kho, Table-Tennis, Volleyball, Wrestling, Judo, Weight Lifting, Handball, Swimming and Tennis.

भाग – 2 खेलों में पुरस्कार एवं सम्मान : 10 अंक

खेलों में पुरस्कार एवं सम्मान – राजीव गाँधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाईम उपलब्धि पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार।

Part – 2 Awards and Honours in Games and Sports

Awards and Honours in Games and Sports - Rajiv Gandhi Khel Ratna, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, Arjuna Award, Dronacharya Award, Life Time Achievement Award, Eklavya Award, Vikram Award, Vishwamitra Award.

भाग – 3 खेलों से संबंधित ट्रॉफीयाँ/प्रतियोगिताएँ, शब्दावली एवं संक्षेपण : 10 अंक

विभिन्न खेलों से संबंधित राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं/ट्रॉफीयाँ। विभिन्न खेलों की शब्दावली एवं संक्षेपण।

Part – 3 Trophies/Competitions, Terminologies and Abbreviations in Games and Sports

Trophies /Competitions related to different Games and Sports at National and International Level. Terminologies and Abbreviations in different Games and Sports.

भाग – 4 खेलों की अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ : 10 अंक

ओलम्पिक खेलों, एशियन खेलों तथा कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन एवं ओलम्पिक, एशियन तथा कॉमनवेल्थ खेलों का इतिहास। विभिन्न खेलों से संबंधित समसामयिकी। विश्व तथा भारत के प्रख्यात खेल व्यक्तित्व।

Part – 4 International Competitions in Games and Sports

History and Performance of Indian players in Asian Games, Commonwealth Games and Olympics Games, Current affairs related to different Games and Sports. Eminent Sports Personalities – India and World.

बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2016 में प्रवेश हेतु फिटनेस टेस्ट (छात्रों हेतु)

*NORMS FOR MODIFIED AAHPER YOUTH FITNESS TEST
(BOYS)

MARKS	TEST ITEMS						MARKS
	50 Mts Dash (Sec)	Pull-Ups Overarm Grip (No.)	Bent Knee Sit-Ups (No.)	Shuttle Run 10x4mts (Sec)	Standing Broad Jump (Mts)	600 mts Run /Walk (Sec)	
10	5.49	16	67	7.60	3.00	99.00	10
9	5.87	15	61	8.13	2.89	102.84	9
8	6.23	13	55	8.66	2.78	106.68	8
7	6.63	11	50	9.19	2.67	110.52	7
6	7.01	10	44	9.72	2.56	114.36	6
5	7.39	8	38	10.25	2.45	118.20	5
4	7.77	6	33	10.78	2.34	122.04	4
3	8.15	5	27	11.31	2.23	125.88	3
2	8.53	3	21	11.84	2.12	129.72	2
1	8.91	1	15	12.37	2.01	133.56	1
0	9.29	0	10	12.90	1.90	137.40	0
MEAN	7.39	8.00	38.30	10.25	2.45	118.20	MEAN
S.D	0.54	2.39	8.18	0.75	0.16	5.48	S.D
SCALE INTERVAL	0.38	1.67	5.73	0.53	0.11	3.84	SCALE INTERVAL

Formula for converting performance into Marks (i.e. raw score into scale value)

$$\text{Marks} = (ZV - X) / SI$$

For test items (50 Mts, Shuttle Run & 600 Mts Run/Walk)

$$\text{Marks} = (X - ZV) / SI$$

For test items (Pullups, Situps & St. Broad Jump)

Where,

X = Actual Performance in the test

ZV = Zero value of the scale in particular test

SI = Scale Interval of the particular test

Note: The highest and lowest marks for any performance in any test item will be 10 & 0 respectively.

बी.पी.एड. पाठ्यक्रम 2016 में प्रवेश हेतु फिटनेस टेस्ट (छात्राओं हेतु)

***NORMS FOR MODIFIED AAHPER YOUTH FITNESS TEST
(GIRLS)**

MARKS	TEST ITEMS						MARKS
	50 mts Dash (Sec)	Inclined Pull-Ups Overarm Grip (No.)	Bent Knee Sit-Ups (No.)	Shuttle Run 10x4mts (Sec)	Standing Broad Jump (Mts)	600 mts Run /Walk (Sec)	
10	6.19	70	48	9.03	2.65	102.15	10
9	6.74	64	44	9.65	2.47	113.28	9
8	7.29	58	39	10.27	2.29	124.41	8
7	7.84	52	34	10.89	2.11	135.54	7
6	8.39	46	30	11.51	1.93	146.67	6
5	8.94	40	25	12.13	1.75	157.80	5
4	9.49	34	20	12.75	1.57	168.93	4
3	10.04	28	16	13.37	1.39	180.06	3
2	10.59	22	11	13.99	1.21	191.19	2
1	11.14	16	7	14.61	1.03	202.32	1
0	11.69	10	2	15.23	0.85	213.43	0
MEAN	8.94	39.9	25.10	12.13	1.75	157.80	MEAN
S.D	0.78	8.69	6.62	0.88	0.25	15.90	S.D
SCALE INTERVAL	0.55	6.08	4.63	0.62	0.18	11.13	SCALE INTERVAL

Formula for converting performance into Marks (i.e. raw score into scale value)

Marks = $(ZV-X) / SI$

For test items (50 Mts, Shuttle Run & 600 Mts Run/Walk)

Marks = $(X-ZV) / SI$

For test items (Pullups, Situps & St.Broad Jump)

Where, X = Actual Performance in the test

ZV = Zero value of the scale in particular test

SI = Scale Interval of the particular test

Note: The highest and lowest marks for any performance in any test item will be 10 & 0 respectively.

एम०पी०एड० प्रवेश परीक्षा 2016 हेतु पाठ्यक्रम

एम०पी०एड० दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में 50 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्र.	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, गतिक्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा में सुधार (Anatomy, Physiology of Exercise, Kinesiology, Health Education and Correctives in Physical Education)	10	10 अंक
2.	शारीरिक शिक्षा का इतिहास, मूल आधार एवं मनोविज्ञान (History, Foundation and Psychology of Physical Education)	10	10 अंक
3.	शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ (Methods in Physical Education)	10	10 अंक
4.	निर्णयन एवं प्रशिक्षण (Officiating and Coaching)	10	10 अंक
5.	शारीरिक शिक्षा में परीक्षण, मापन एवं सांख्यिकी (Test, Measurement and Statistics in Physical Education)	10	10 अंक
कुल		50	50 अंक

एम० पी० एड० प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

Syllabus of M.P.Ed. Entrance Examination

कुल अधिकतम अंक : 50

Total Max.Marks : 50

: 10 अंक

भाग –1

शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान –

शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ एवं संकल्पना। सन्धियों की परिभाषा एवं वर्गीकरण, सायनोवियल संधि की शारीरिक संरचना, मांसपेशियों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक वर्गीकरण, मांसपेशियों के गुण (लचीलापन, संकुचनशीलता तथ उत्तेज्यता)। कंधे, कोहनी, कुल्हे, घुटने तथा टखने से संबंधित प्रमुख मांसपेशियों की स्थिति एवं क्रियाएँ।

हृदय परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जी तंत्र तथा अंतःस्त्रावी तंत्र का मूलभूत ज्ञान। विशेष संवेदी अंग : आँख, कान तथा त्वचा की शारीरिक संरचना एवं कार्य। गतिसंवेदी संवेदन, एवं अंगों का संक्षिप्त ज्ञान। व्यायाम का मांसपेशीय, रक्त परिसंचरण तथा श्वसन तंत्र पर प्रभाव। वार्मिंगअप, अनूकूलनता तथा प्रशिक्षण। खिंचाव तथा ऐंठन।

गतिक्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा में सुधार –

गतिक्रिया विज्ञान की परिभाषा। मूलभूत अवधारणाएँ : अक्ष एवं सतह, गुरुत्वाकर्षण केन्द्र, गुरुत्व रेखा, न्यूटन के गति के नियम, लीवर (उत्तोलक), सभी अथवा कुछ नहीं का नियम। साम्यता, सभी अथवा कुछ नहीं का नियम। मांसपेशियाँ तथा उनके निम्नलिखित जोड़ों के चारों ओर की क्रियाएँ – कंधा, कोहनी, कुल्हा एवं घुटना।

स्वास्थ्य उसके आयाम, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धान्त, संक्रामक रोग, आहार तथा पोषण: आहार का वर्गीकरण, विभिन्न पोषक तत्वों के समीपवर्ती सिद्धान्त एवं भूमिका। संतुलित आहार : परिभाषा, संतुलित आहार को तैयार करने के सिद्धान्त, भारतीय खिलाड़ियों/विद्यालय के बच्चों के लिए संतुलित आहार।

सामान्य आसनीय विचलन उनके कारण एवं निदानात्मक व्यायाम :

- | | | | | | |
|-----|------------|-----|----------------|-----|-------------|
| (अ) | कुबड़ापन | (ब) | पाश्वर्कुञ्जता | (स) | अग्रकुञ्जता |
| (द) | घुटनादस्तक | (इ) | टेढ़ी टाँगें | (फ) | समतल पैर |

सामान्य खेल चोटें, उनके कारण एवं तुरंत उपचार :

- | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----|------------------|-----|----------|-----|---------|
| (अ) | अंतःक्षति / नील | (ब) | घिसट | (स) | फटन | (द) | मोच |
| (इ) | खिंचाव | (फ) | अन्तःरक्तस्त्राव | (ज) | अस्थिभंग | (च) | संधिभंग |

खेल चोटों में चिकित्सीय साधन :

- | | | | | | |
|-----|--------------|-----|-------------|-----|----------------------|
| (अ) | शीत चिकित्सा | (ब) | अवरक्त | (स) | विषम स्नान |
| (द) | मोम स्नान | (इ) | जल चिकित्सा | (फ) | लघु तरंग डायर्थर्मी। |

Part – 1

Anatomy and Physiology of Exercise -

Meaning and concept of Anatomy and physiology. Definition and classification of joints: Anatomical structure of Synovial joints, Structural and functional classification of muscles, Properties of muscles (Elasticity, Contractility and Irritability), Location and actions of the important muscles in relation to Shoulder, Elbow, Hip, Knee and Ankle Joint.

Basic knowledge of Cardio –Vascular System, Respiratory System, Digestive, Nervous, Excretory and Endocrine System. Special Senses: Anatomical Structure and the function of eyes, ear and skin. Brief knowledge about kinesthetic sense and kinesthetic organs. Effect of exercise on Muscular, Cardio vascular and respiratory system. Warming up, conditioning and training, Strain and Cramps.

Kinesiology, Health Education and Correctives in Physical Education

Definition of Kinesiology. Fundamental Concepts: Axes and Planes, Centre of Gravity, Line of Gravity, Newton's Law's of motion, Lever All or None Law. Equilibrium. All or None Law. Muscles and their actions around following joints – Shoulder, Elbow, Hip, Knee.

Health, its dimensions. Principles of health education. Communicable diseases. Food and Nutrition: Classification of foods. Proximate principles and role of various nutrients. Balanced Diet: Definition, Principles of Preparing balanced diet. Balanced diet for Indian players/ school children. Common postural deviations, their causes and remedial exercises :

- a) Kyphosis
- b) Scoliosis
- c) Lordosis
- d) Knock Knees
- e) Bowlegs
- f) Flat-feet.

Common Sports Injuries, their causes & immediate treatment :

- a) Contusion
- b) Abrasion
- c) Laceration
- d) Sprain
- e) Strain
- f) Haematoma
- g) Fracture
- h) Dislocation.

Therapeutic modalities in Sports Injuries: -

- a) Cryo-therapy
- b) Infra red
- c) Contrast bath
- d) Wax bath
- e) Hydrotherapy
- f) Short wave Diathermy

भाग – 2

: 10 अंक

शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं मूल आधार

शारीरिक शिक्षा की परीभाषाएं, शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य। भारत में शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रशिक्षण संस्थान – वाय.एम.सी.ए., एल.एन.आई.पी.ई., एन.एस.एन.आई.एस., एच.वी.पी.एम., भारतीय ओलम्पिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य एवं विक्रम पुरस्कार। आधुनिक ओलम्पिक खेल, ओलम्पिक संविधान, ओलम्पिक आयोग एवं उसके कार्य।

शारीरिक शिक्षा का मनोविज्ञान

मनोविज्ञान की परिभाषा। वृद्धि एवं विकास का अर्थ। अनुवांशिकी, पर्यावरण एवं इसका महत्व, वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। व्यक्तित्व का अर्थ, खिलाड़ियों की व्यक्तित्व विशेषताएं। विभिन्न खेल समूहों में व्यक्तित्व अन्तर।

अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा के प्रकार, बाह्य तथा आन्तरिक अभिप्रेरणा में सम्बन्ध, महत्वाकांक्षा, उपलब्धियां एवं प्रोत्साहन के स्तर। सीखने का अर्थ तथा प्रकृति, सीखने के सिद्धान्त, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने के प्रकार, सीखने में स्थानान्तरण, सकारात्मक स्थानान्तरण हेतु परिस्थितियाँ, सीखने के वक्र एवं उनका शैक्षणिक उपयोग।

प्रतियोगिता के मनोवैज्ञानिक पहलूः प्रतियोगिता की परिभाषा, प्रतियोगी व्यवहार के निर्धारक, प्रतियोगिता पूर्व तथा पश्चात् मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। शिथिलन तथा क्रियान्वयन हेतु चुनिंदा मानसिक नियंत्रण तकनीक।

Part – 2 History and Foundation of Physical Education

Definitions of Physical Education. Meaning and importance. Aims and objectives of Physical Education. Physical Education and sports training Institutions in India – YMCA, LNIPE, NSNIS, HVPM. Indian Olympic Association. Sports Authority of India, Rajeev Gandhi Khel Ratna, Arjun, Dronacharya and Vikram Award.

Modern Olympic Games, Olympic Charter, Olympic Commissions and their functions.

Psychology of Physical Education

Definition of Psychology. Meaning of Growth & Development, Heredity, Environment and its importance, stages of growth and development.

Meaning of Personality, Personality traits of sports person. Personality difference among various sports groups.

Meaning of Motivation, Types of Motivation, Relationship between extrinsic and intrinsic motivation. Level of Aspiration, achievement, motivation.

Meaning and nature of learning, Principles of Learning. Factors affecting Learning. Types of Learning. Transfer of Training. Conditions for positive transfer. Learning curves and their educational implications.

Psychological Aspects of Competition: Defining Competition, Determinants of competitive behaviour. Psychological characteristics of Pre-competition and Post competition. Selected Psycho-regulative techniques for Relaxation and Activation.

भाग – 3

: 10 अंक

शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ

शिक्षण विधियों के प्रकार : अंश, पूर्ण विधि, पूर्ण अंशपूर्ण विधि, दर्पण विधि, प्रदर्शन एवं अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि।

प्रस्तुतीकरण तकनीक – व्यक्तिगत तैयारी, तकनीकी तैयारी, प्रस्तुतीकरण के चरण, आदेश एवं उनकी तकनीक, संरचनाओं के प्रकार, कक्षा प्रबन्धन के सिद्धान्त।

पाठ्य योजना – पाठ्य योजना के प्रकार एवं उनका महत्व। विभिन्न पाठ्य योजनाओं के उद्देश्य तथा पाठ्य योजनाओं के भाग।

प्रतियोगिताएं, संचालन, अर्थ और उनके प्रकार –

- i. नॉक आउट – एकल नॉक आउट, डबल नॉक आउट प्रतियोगिताएं।
- ii. लीग (एकल-डबल) अथवा राउन्ड रॉबिन।
- iii. मिश्रित प्रकार की प्रतियोगिताएं।
- iv. चुनौती, पेरिनियल प्रकार, सीढ़ी पिरामिडनुमा प्रकार।
- v. विभिन्न लघु क्षेत्र खेल

ट्रेक एवं फील्ड की मार्किंग (चिन्हांकन)

- i. 200 मी. एवं 400 मी. मानक ट्रेक एवं फील्ड की मार्किंग (चिन्हांकन)
- ii. खेल मैदानों के अन्तराराष्ट्रीय नियमानुसार मौलिक चिन्हांकन – फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिण्टन, कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, हैण्डबॉल।

शारीरिक शिक्षा का बजट एवं उसकी तैयारी, अभिलेखों का रखरखाव, कार्यालयीन पत्र व्यवहार, रिपोर्ट एवं नत्थीकरण, उपकरणों का क्रय – क्रय प्रक्रिया, भण्डारण, भण्डारण–देखभाल एवं उपकरणों का निपटारा।

Part – 3 Methods in Physical Education

Types of teaching methods: part, whole method, whole part whole method, mirror method, demonstration and imitation method, lecture method.

Presentation Techniques - Personal Preparation, Technical Preparation, Steps of Presentation, Commands & their techniques, Types of formations, Principles of class management.

Lesson Planning - Types of Lessons and their values, Objectives of different lesson plans and parts of the lesson plan.

Tournaments, Organization, Meaning and their types -

- i) Knock-out type single elimination, Double elimination tournaments.
- ii) League-(Single-Double) or round robin type.
- iii) Combination type of tournaments.
- iv) Challenge of perennial type Ladder Pyramid type
- v) Miscellaneous type of small area games.

Marking of Tracks and play fields: -

- i) Track and Field - standard track 400 meters and 200 meters
- ii) Fundamentals of marking Play Fields – Football, Volleyball, Basketball, Badminton, Kabaddi, Kho-Kho, Cricket, Handball as per International Regulations.

Physical Education budget and its preparation. Maintenance of records, office correspondence, reports & filing. Purchase of equipments:- Purchase procedures, storing, store – keeping and disposal of equipments.

निर्णयन एवं प्रशिक्षण

अच्छे खेल अधिकारियों के गुणः— निरंतरता, निर्णय, ज्ञान, आत्मविश्वास, मित्रवत्, निष्पक्ष, मुस्तैद, समयनिष्ठ।

खेल के पूर्व एवं पश्चात् निभाए जाने वाले कर्तव्य — खेल मैदान एवं उपकरणों का निरीक्षण, अनुदेश, प्रतिवेदन। निर्णयन के मानकों में सुधार — नियमों का अध्ययन, अभ्यास, क्लीनिक्स, प्रशिक्षण, सभाएं।

खिलाड़ियों का चयन एवं स्थानन — आजमाइश, कौशल, खेल गुणवत्ता, पोजिशन, सामूहीकार्य। खेल में प्रोत्साहन एवं रुचि बनाए रखना :— प्रचार, परंपरा, उपकरण, अनुसूचियाँ, प्रशिक्षण शिविर, पुरस्कार।

चैम्पियन बनने की आवश्यकताएं — योग्यता, रुचि एवं मनोदृष्टि, शारीरिक चुस्तता, गौरव, दृढ़संकल्प।

निर्णयन — नियम, कार्य, संकेत, निर्णयन की प्रक्रिया।

खेल — 1. खो—खो 2. कबड्डी 3. व्हालीबॉल 4. बास्केटबॉल 5. हॉकी 6. फुटबॉल 7. क्रिकेट 8. बेडमिण्टन 9. टेबल टेनिस।

Part – 4

Officiating and Coaching

The qualities of a good official:- Consistency, judgment, knowledge, confidence , friendly, fair, prepared, punctual.

Routine Pre-Game and post game duties: - Play field and equipments. Inspections, instructions, reports. Improving the standards of officiating: - Rules study, practices, clinics, apprenticeships, meetings.

Selection and placement of players: - tryouts, skills, game qualities, position, team work. Promoting and maintaining interest in a game: publicity, tradition, equipment, schedules, training camps, rewards.

Requisites of a champion: - Ability, Interest and attitude, fitness, pride, determination.

Officiating – rules, duties, signals, mechanics of officiating

Games and Sports

- | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 1. Kho – Kho | 2. Kabaddi | 3. Volleyball | 4. Basketball |
| 5. Hockey | 6. Football | 7. Cricket | 8. Badminton |
| 9. Table Tennis | | | |

भाग – 5

: 10 अंक

शारीरिक शिक्षा में परीक्षण, मापन एवं सांख्यिकी

परीक्षण तथा मापन और सांख्यिकी का अर्थ। बारंबारता सारणी — अर्थ, रचना तथा उपयोग। समुहीकृत तथा असमुहीकृत आंकड़ों से केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप एवं गणना। विचरण की माप। समुहीकृत तथा असमुहीकृत आंकड़ों से मानक विचलन की गणना।

ज्ञान परीक्षण के महत्व तथा प्रकार। विषयनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ ज्ञान परीक्षण में सम्मिलित तथ्य। परीक्षण चयन के मापदण्ड।

सोमेटोटाईपिंग — शेल्डन्स बॉडी टाइप्स।

चिकित्सा परीक्षण — दृश्य (स्नेलेन चार्ट), श्रवण शक्ति (घड़ी टिक विधि), रक्तचाप, अत्यावश्यक (वाइटल) क्षमता।

खेल कौशल परीक्षण : लोकहार्ट तथा मैकफर्सन बेडमिण्टन परीक्षण, जॉनसन बॉस्केटबॉल परीक्षण, मेकडोनल्ड सॉकर परीक्षण, ब्रेडी व्हॉलीवाल परीक्षण।

फिटनेस परीक्षण — AAHPERD युवा स्वास्थ्य परीक्षण, इण्डियाना मोटोर स्वास्थ्य परीक्षण।

Part – 5 Test, Measurement and Statistics in Physical Education

Meaning of test and Measurement & Statistics. Frequency Table – Meaning Construction And uses. Measures & computation of measures of central tendency from ungrouped and grouped data. Measures of variability. Computation of SD from ungrouped and grouped data.

Knowledge Test Importance and Types. Items to be included in objective and subjective knowledge tests. Criteria of test selection.

Somatotyping –Sheldon's body types.

Medical Tests- Vision (Snellen's Chart) Hearing (Watch tick method) Blood pressure, Vital Capacity.

Sports Skill Tests: Lockhart and McPherson Badminton Test, Johnson Basketball Test, McDonald Soccer Test, Brady Volley ball Test.

Fitness Tests – AAHPERD Youth Fitness Test, Indiana Motor Fitness Test.

-0-

एम.पी.एड. पाठ्यक्रम 2016 में प्रवेश हेतु स्पोर्ट्स प्रोफेशियेंसी टेस्ट

कुल अधिकतम अंक : 50

निम्नानुसार खेलों यथा हॉकी, फुटबॉल, व्हालीबॉल, बास्केट बॉल, टेनिस, बेडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, जूडो, हैंड बॉल, खो-खो, कबड्डी, स्वीमिंग, जिमनास्टिक, कुश्ती, वैटलिफिटंग, योगा, ट्रैक एंड फील्ड (एक ट्रैक एवं एक फील्ड इवेंट) आदि में से किसी एक खेल का चयन प्रोफेशियेंसी टेस्ट हेतु आवेदक को करना होगा। उक्त परीक्षण हेतु आवेदक को निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अनिवार्यतः उपस्थित होना होगा एवं निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा।

बी.एड. एवं बी.एड.-एम.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु सहायता केन्द्रों (हेल्प सेंटर)सूची

List of Help Centres			
S.No.	District	HC NAME	City
1	Alirajpur	Govt College	Alirajpur
2	Anuppur	Govt Tulsi Degree College	Anuppur
3	Ashok Nagar	Govt Nehru Degree College	Ashoknagar
4	Badwani	Govt P G College	Badwani
5	Badwani	Govt College	Sendhwa
6	Balaghat	Govt Jatashankar Trivedi College	Balaghat
7	Betul	Govt Jaywanti Haksar P G College	Betul
8	Bhind	Govt Girls College	Bhind
9	Bhind	Govt M J S P G College	Bhind
10	Bhopal	Govt Adarsh Motilal Vigyan Mahavidyalaya	Bhopal
11	Bhopal	Govt Benazir College	Bhopal
12	Bhopal	Govt Gitanjali Girls P G College	Bhopal
13	Bhopal	Govt Hamidiya Arts and Commerce College	Bhopal
14	Bhopal	Govt M.L.B. Girls College	Bhopal
15	Bhopal	Govt P G College, BHEL	Bhopal
16	Bhopal	Govt Sarojini Naidu Girls P G College	Bhopal
17	Burhanpur	Govt Jawaharlal Nehru College	Nepanagar
18	Chhatarpur	Govt Girls College	Chhatarpur
19	Chhatarpur	Govt Maharaja College	Chhatarpur
20	Chhindwara	Govt P G College	Chhindwara
21	Damoh	Govt P G College	Damoh
22	Datia	Govt Girls College	Datia
23	Datia	Govt P G College	Datia
24	Dewas	Govt Krishnajirao Pawar P G College	Dewas
25	Dhar	Govt P G College	Dhar
26	Dindori	Govt Chandravijay College	Dindori
27	Guna	Govt P G College	Guna
28	Gwalior	Govt Adarsh Science College	Gwalior
29	Gwalior	Govt Bhagawat Sahay College	Gwalior
30	Gwalior	Govt Kamlaraje Girls P G College	Gwalior
31	Gwalior	Govt M L B Arts and Commerce College	Gwalior
32	Gwalior	Govt Virangna Jhalkari Bai Girls College	Gwalior
33	Harda	Govt Arts and Commerce College	Harda
34	Hoshangabad	Govt Home Science Girls P G College	Hoshangabad
35	Hoshangabad	Govt Narmada College	Hoshangabad
36	Indore	Govt Girls P G College, Moti Tabela	Indore
37	Indore	Govt Holkar Science College	Indore
38	Indore	Govt Nutan Girls P G College, Kilabhawan	Indore
39	Indore	Shri Atal Bihari Vajpai Govt Arts and Commerce	Indore

		College	
40	Jabalpur	Govt M H Home Science Girls P G College	Jabalpur
41	Jabalpur	Govt M K B Arts and Commerce College	Jabalpur
42	Jabalpur	Govt Mahakaushal Arts and Commerce College	Jabalpur
43	Jabalpur	Govt Science College	Jabalpur
44	Jhabua	Govt Shahid Chandrshekhar P G College	Jhabua
45	Katni	Govt Tilak College	Katni
46	Khandwa	Govt Shri Nilkantheshwar P G College	Khandwa
47	Khargone	Govt P G College	Khargone
48	Mandla	Govt Rani Durgawati College	Mandla
49	Mandsaur	Govt P G College	Mandsaur
50	Morena	Govt PG College Morena	Morena
51	Morena	Govt Girls College	Morena
52	Narsinghpur	Govt P G College	Narsinghpur
53	Neemuch	Swami Vivekanand Govt P G College	Neemuch
54	Panna	Govt Chhatrasal P G College	Panna
55	Raisen	Govt Swami Vivekanand College	Raisen
56	Rajgarh	Govt College	Rajgarh
57	Ratlam	Govt Arts and Science P G College	Ratlam
58	Rewa	Govt Girls P G College	Rewa
59	Rewa	Govt Law College	Rewa
60	Rewa	Govt Thakur Ranmat Singh College	Rewa
61	Sagar	Govt Arts and Commerce College	Sagar
62	Sagar	Govt Girls P G College	Sagar
63	Satna	Govt Girls College	Satna
64	Satna	Govt P G College	Satna
65	Sehore	Chandra Shekhar Azad Govt P G College	Sehore
66	Seoni	Govt P G College	Seoni
67	Shahdol	Govt P G College	Shahdol
68	Shajapur	Govt Balkrishna Sharma Navin P G College	Shajapur
69	Sheopur	Govt College	Sheopur
70	Shivpuri	Govt P G College	Shivpuri
71	Sidhi	Govt Sanjay Gandhi Smrati College	Sidhi
72	Sidhi	Govt Girls College Sidhi	Sidhi
73	Singroli	Govt College	Waidhan
74	Tikamgarh	Govt P G College	Tikamgarh
75	Ujjain	Govt Kalidas Girls College	Ujjain
76	Umariya	Govt College	Umariya
77	Vidisha	Govt Girls College	Vidisha

बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु सहायता केन्द्रों (हेल्प सेंटर) की सूची

List of Help Centres For B.P.Ed./M.P.Ed.			
S.No.	District	HC NAME	City
1.	Bhopal	Physical Education Department, Barkatullah University	Bhopal
2.	Chhatarpur	Physical Education Department, Chhatrasal Bundelkhand University	Chhatarpur
3.	Gwalior	Physical Education Department, Jiwaji University	Gwalior
4.	Indore	Physical Education Department, Devi Ahilya University	Indore
5.	Jabalpur	Physical Education Department, Rani Durgavati University	Jabalpur
6.	Rewa	Physical Education Department, APS University	Rewa
7.	Ujjain	Department of Continuing Education, Vikram University	Ujjain

एम.एड. हेतु सहायता केन्द्रों (हेल्प सेंटर) की सूची

List of Help Centres For M.Ed.			
S.No.	District	HC NAME	City
1.	Bhopal	Education Department, Barkatullah University	Bhopal
2.	Chhatarpur	Education Department, Chhatrasal Bundelkhand University	Chhatarpur
3.	Gwalior	Education Department, Jiwaji University	Gwalior
4.	Indore	Education Department, Devi Ahilya University	Indore
5.	Jabalpur	Education Department, Rani Durgavati University	Jabalpur
6.	Rewa	Education Department, APS University	Rewa
7.	Ujjain	Department of Continuing Education, Vikram University	Ujjain

परीक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड तथा एम.पी.एड. पाठ्यक्रमों हेतु आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के लिये संभावित परीक्षा केन्द्रों की सूची :–

1. मंदसौर
2. इन्दौर
3. उज्जैन
4. भोपाल
5. होशंगाबाद
6. छिन्दवाड़ा
7. छतरपुर
8. सागर
9. जबलपुर
10. रीवा
11. सतना
12. शहडोल
13. ग्वालियर
14. मुरैना
15. बालाघाट
16. गुना
17. बुरहानपुर
18. भिण्ड

नोट:- व्यावसायिक परीक्षा मंडल विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्राप्त कुल आवेदनों के आधार पर परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन करना चाहें।

आरक्षण तालिका

महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगा (एन०सी०टी०ई० एवं विश्वविद्यालयों से मान्यता/संबद्धता 2016 प्राप्त महाविद्यालयों की वास्तविक सूची उपलब्ध होने पर सीट संख्या में परिवर्तन संभव है)

पाठ्यक्रम का नाम →	बी.एड.	एम.एड.	बी.पी.एड.	एम.पी.एड.
अनुमानित कुल सीट संख्या	54000	2110	1670	250
बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु 25%	13500	528	418	63
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु०जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 15%	2025	79	63	09
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु०जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 7.5%	1013	40	31	05
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 27%	3645	143	113	17
बाह्य राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	6817	266	211	32
म०प्र० राज्य के आवेदकों हेतु 75%	40500	1582	1252	187
म०प्र० राज्य के आवेदकों में से अनु०जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 16%	6480	253	200	30
म०प्र० राज्य के आवेदकों में से अनु०जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 20%	8100	316	250	37
म०प्र० राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 14%	5670	221	175	26
म०प्र० राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	20250	792	627	94

मानक 100 सीटों के आधार पर आरक्षण निम्नानुसार होगा –

म०प्र० राज्य के आवेदकों के लिए 75 सीट				बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए 25 सीट				कुल सीट
सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
38	10	12	15	12	07	04	02	100

- महिलाओं के लिए 30% एवं म०प्र० राज्य के आवेदकों हेतु विभिन्न संवर्ग जैसे – निःशक्तजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सैनिक हेतु पृथक–पृथक 3% तथा विधवा अथवा परित्यक्ता के लिए 1% क्षैतिजीय आरक्षण नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।
- अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2016–2018
बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)

1. प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञापन	जनवरी 2016
2. ऑनलाइन आवेदन करना	01 फरवरी से 02 मार्च, 2016
3. दस्तावेजों का सत्यापन	02 फरवरी से 05 मार्च, 2016
4. प्रवेश परीक्षा	24 अप्रैल, 2016
5. फिटनेस टेस्ट / स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट	28 अप्रैल से 05 मई, 2016
6. प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा	10 मई, 2016 (संभावित)
7. समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन	12 मई, 2016 (संभावित)
8. ऑनलाइन पंजीयन के साथ महाविद्या विभाग की वरीयता	18 मई से 28 मई, 2016
9. काउंसलिंग प्रक्रिया	02 जून से 30 जून, 2016

अकादमिक कार्य	प्रथम/तृतीय सेमेस्टर	द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर
कक्षाएं प्रारंभ	01 जुलाई, 2016	16 दिसंबर, 2016
शैक्षणिक कार्य	01 जुलाई से 02 नवंबर 2016 (100 दिवस)	16 दिसंबर, 2016 से 20 अप्रैल 2017 (100 दिवस)
प्रायोगिक परीक्षाएं	25 अक्टूबर से 05 नवंबर, 2016	15 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2017
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	06 से 09 नवंबर, 2016	26 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2017
सेमेस्टर/एटीकेटी परीक्षाएं	10 नवंबर से 30 नवंबर, 2016	01 मई से 20 मई, 2017
परीक्षा परिणाम	15 दिसंबर, 2016	05 जून, 2017
सेमेस्टर अंतराल (विद्यार्थियों हेतु)	01 से 15 दिसंबर, 2016	20 मई से 30 जून, 2017

टीप :

- प्रत्येक वर्ष विषम एवं सम सेमेस्टर हेतु क्रमशः माह अगस्त/फरवरी में महाविद्यालयीन गतिविधियाँ/शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ संपन्न कराई जावे।
- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/वि.वि. स्तर पर शैक्षणिक काल खंडों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जावे ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समय अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के रेग्यूलेशन 2014 के अनुपालन में निर्धारित 200 शैक्षणिक दिवस एवं अन्य निर्दिष्ट गतिविधियाँ तदनुसार संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु भी समयावधि तदनुसार लागू होगी।

